खण्ड - III

आयोजना परिव्यय 2008-2009

इस भाग में विभिन्न परियोजनाओं, कार्यक्रमों और योजनाओं तथा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता हेतु 2008-09 के केन्द्रीय आयोजना परिव्यय का ब्यौरा दिया गया है। वास्तविक लक्ष्यों, जहां कहीं भी दिए गए हों, के बाद दी गई टिप्पणियां संपूर्ण आयोजना परिव्यय के साथ जुड़ी है जिसमें बजटीय सहायता तथा आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन (आं.ब.बा.सं.) दोनों शामिल हैं। विवरण 12 में मंत्रालय/विभाग-वार आयोजना परिव्यय दर्शाया गया है। विवरण 13 में विभिन्न क्षेत्रों के तहत विकास-क्षेत्रों और विकास-शीर्षो द्वारा केन्द्रीय आयोजना-परिव्यय दर्शाया गया है। विवरण 14 में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में आयोजना निवेश दर्शाया गया है। विवरण 15 में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के संसाधन दिए गए हैं। विवरण 16 में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता दर्शाई गई है। विवरण 17 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को आयोजना अनुदान और ऋण दिए गए हैं। विवरण 18 में राज्य/जिला स्तर के स्वायत्तशासी निकायों/कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय आयोजना सहायता के प्रत्यक्ष अन्तरण के लिए प्रावधान दिया गया है। विवरण 19 केन्द्रीय आयोजना में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए और राज्यों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता और विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं जिसमें अनुमानित अंतर्प्रवाह 100 करोड़ रुपए या इससे अधिक है, का परियोजनावार ब्यौरा दर्शाता है। विवरण 20 लिंग आधारित स्कीमों के लिए परिव्यय और विवरण 21 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास के लिए परिव्यय दर्शाता है। विवरण 22 में बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान दर्शाए गए हैं।

2007-2008 के केन्द्रीय आयोजना परिव्यय की तुलना में 2008-09 का आयोजना परिव्यय व्यवस्था इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए में)

	बजट अनुमान 2007-2008	संशोधित अनुमान 2007-2008	बजट अनुमान 2008-2009
केन्द्रीय आयोजना के लिए बजटीय सहायता	154939.32	148669.28	179954.00
सरकारी उद्यमों के आन्तरिक और बजट बाह्य संसाधन	165052.76	143667.73	195531.04
केन्द्रीय आयोजना परिव्यय	**319992.08**	**292337.01**	**375485.04**
राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	**50160.68**	**58854.75**	**63431.50**

कृषि और संबद्ध कार्य

फसल कार्य : कृषि जिंसों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यनीति विभिन्न विकास कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करने पर बल देती है। फसल कार्य के अधीन कार्यक्रमों के लिए परिव्यय 5901.80 करोड़ रुपए है। **इसमें से 3165.67 करोड़ रुपए की राशि राज्य आयोजना स्कीम "राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" के लिए है।** आवंटन मुख्यतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, समेकित तिलहनों, ऑयल पाम, दलहनों तथा मक्का विकास, वर्षापोषित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पादप संरक्षण, बीज, उर्वरक, कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी, फसल बीमा, बागवानी गतिविधियों (जिसमें 1100 करोड़ रुपए राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा 500 करोड़ रुपए लघु सिंचाई हेतु रखे गए हैं) के लिए किया गया है।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के लिए भी 644 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत पिछले वर्षो में किया गया बजट प्रावधान तथा वास्तविक व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(राशिः करोड़ रुपए)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	लाभ प्राप्त किसान
2004-05	350.00	350.00	3433685
2005-06	549.00	749.00	3646732
2006-07	499.00	634.37	3852625*
2007-08	500.00	718.88	वित्त वर्ष के अन्त में ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जाना है।
2008-09	644.00		

* अनन्तिम

प्राकृतिक आपदाओं, कीट तथा बीमारियों के कारण फसलों के नष्ट होने की दशा में किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना रबी 1999-2000 मौसम से लागू है। वर्तमान में, यह योजना 23 राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। पिछले ग्यारह फसल मौसमों अर्थात् रबी 1999-2000 से रबी 2004-05 के दौरान, 57239 करोड़ रुपए की राशि का बीमा प्रदान कर 10.11 करोड़ हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में 6.24 करोड़ किसानों को कवर किया गया। लगभग 2 करोड़ किसानों को लगभग 1778 करोड़ रुपए के प्रीमियम से लाभान्वित करने के मुकाबले लगभग 5917 करोड़ रुपए की दावा राशियां देय हो गयी हैं।

मृदा और जल संरक्षण : इस शीर्ष के अधीन परिव्यय, अखिल भारतीय मृदा और भूमि प्रयोग सर्वेक्षण, कार्य योजनाओं (कृषि में वृहत प्रबंधन) के माध्यम से राज्यों के प्रयासों के संपूरण/अनुपूरण और झूम खेती (राज्य आयोजना) के लिए प्रदान किया गया है। मृदा और जल संरक्षण के अधीन इन कार्यक्रमों के लिए परिव्यय 51 करोड़ रुपए है, जिसमें से 40 करोड़ रुपए की राशि "झूम खेती (राज्य आयोजना)" के लिए है।

सहकारिता : इन कार्यक्रमों के लिए 137 करोड़ रुपए का परिव्यय मुख्यतः सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण, विकासात्मक कार्यकलापों के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से सहायता, भूमि विकास बैंकों को ऋण प्रदान करने के लिए है।

अन्य कृषि कार्यक्रम : 152 करोड़ रुपए का परिव्यय कृषि विपणन योजनाओं यथा ग्रामीण गोदामों के निर्माण, विपणन अवसंरचना के विकास ग्रेडिंग, विपणन अनुसंधान सर्वेक्षण और विपणन सूचना नेटवर्क आदि के लिए है।

पशुपालन : सामान्य तौर पर पशुधन के विकास के तीन उद्देश्य हैं, अर्थात् प्रथम, बढ़ती जनसंख्या के लिए पर्याप्त पशु प्रोटीन उपलब्ध कराना; द्वितीय, कृषि उत्पादन की वृद्धि बनाए रखने के लिए पर्याप्त पशुशक्ति उपलब्ध कराना तथा तृतीय पशु रोगों का नियंत्रण। वर्ष 2008-09 के लिए परिव्यय 620 करोड़ रुपए है।

डेयरी विकास : 88.55 करोड़ रुपए का परिव्यय मुख्यतया सघन डेयरी विकास परियोजना; सहकारी सगंठनों को सहायता देने; गुणवत्तापूर्ण एवं स्वच्छ दुग्ध एवं डेयरी उत्पादों के लिए अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण/मुर्गीपालन उद्यम पूंजी निधि के लिए है।

मत्स्य पालन : 201.45 करोड़ रुपए का परिव्यय मृदु जल एवं खारा जल मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने, मछली बंदरगाहों एवं लैंडिंग केन्द्रों के लिए सहायता प्रदान करने, समुद्री मत्स्य पालन विकास, मछुआरों के कल्याण, डाटा बेस एवं सूचना नेटवर्क प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं मत्स्य पालन संस्थानों तथा राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को सहायता प्रदान करने के लिए है।

वानिकी और वन्य जीव : पर्यावरण और वन मंत्रालय का आयोजना परिव्यय 1500 करोड़ रुपए है । 599.18 करोड़ रुपए की राशि पारिस्थितिकी

तथा पर्यावरण हेतु आवंटित की गयी है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, 335 करोड़ रुपए की राशि राष्ट्रीय झील एवं नदी संरक्षण हेतु शामिल की गयी है। 750.82 करोड़ रुपए की राशि वानिकी तथा वन्य जीवों हेतु निर्धारित है जिसमें से 290.62 करोड़ रुपए की राशि राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम के लिए, 87 करोड़ रुपए वन प्रबंधन गहन बनाने के लिए, 74 करोड़ रुपए एकीकृत वन्य जीव वास के विकास तथा 25 करोड़ रुपए की राशि पशु कल्याण हेतु शामिल की गयी है। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु उक्त कार्यक्रम के लिए 150 करोड़ रुपए की निधियों की व्यवस्था की गयी है।

खाद्य भंडारण और भंडागारण : खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु खाद्यान्नों की खरीद और उनका संवितरण करने के लिए स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। समाज के कमजोर और जनजातीय क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से, वर्ष 2008-09 में 17 करोड़ रुपए के परिव्यय से (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 1.70 करोड़ रुपए सहित) ग्रामीण खाद्यान्न बैंकों की स्थापना करने की योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। वर्ष 2008-09 के दौरान 53.50 करोड़ रुपए के परिव्यय से "खाद्यान्न प्रबन्धन के लिए मूल्यांकन, मानीटरिंग और अनुसंधान तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का सुदृढ़ीकरण" नामक स्कीम कार्यान्वित की जाएगी। इसमें 42.20 करोड़ रुपए की राशि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के लिए, 0.50 करोड़ रुपए प्रशिक्षण के लिए, 5.50 करोड़ रुपए व्यावसायिक सेवाओं के लिए है। इस योजना का उद्देश्य एफसीआई में खाद्यान्न प्रबंधन में एकीकृत सूचना पद्धति का विकास करना तथा पीडीएस को सुदृढ़ करना है। केंद्रीय भांडागारण निगम (सीडब्ल्यूसी) ने 49.64 करोड़ रुपए की लागत से भांडागारण क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव किया है । केन्द्रीय भांडागारण निगम, राज्य भांडागारण निगम की शेयर पूंजी के समतुल्य अंशदान उनकी वित्तीय व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए प्रदान करता है। इस निगम ने 2008-09 के दौरान अपने आप तथा नए सृजित अनुषंगिम अर्थात सेन्ट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कम्पनी लि. के मार्फत भूमि खरीदने और भांडागारों का निर्माण करने की योजना बनाई है ताकि 45000 मीट्रिक टन भण्डारण क्षमता सृजित की जा सके।

कृषि अनुसंधान और शिक्षा : कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष वैज्ञानिक संगठन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) के माध्यम से कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के लिए उत्तरदायी है। केंद्रीय आयोजना परिव्यय के मुख्य संघटक गुणवत्ता वाले बीजों में कृषि अनुसंधान को सुदृढ़ बनाना, अधिक उपज देने वाली किस्मों/वर्णसंकर किस्म की फसलों का विकास, बायो-प्रौद्योगिकी को लागू करना, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, संसाधनों का संरक्षण, जैविक खेती के लिए प्रौद्योगिकी सृजन, प्रतिरक्षीकरण और नैदानिक एवं जेंडर संबंधी विषयों को सुदृढ़ बनाना है। इस क्षेत्र के लिए आयोजना परिव्यय 1760 करोड़ रुपए है। इसमें से, 1358 करोड़ रुपए फसल कार्यों के लिए, 80 करोड़ रुपए पशुपालन के लिए, 45 करोड़ रुपए मत्स्य पालन के लिए और 90 करोड़ रुपए मृदा और जल संरक्षण के लिए है।

ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास विभाग के लिए केंद्रीय आयोजना परिव्यय 38500 करोड़ रुपए है जिसमें 7000 करोड़ रुपए का आं.ब.बा.सं शामिल है। केंद्रीय आयोजना परिव्यय के मुख्य संघटक, ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार, आवास निर्माण और सड़कें तथा पुल हैं।

ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम : स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसआई) के लिए परिव्यय 2150 करोड़ रुपए है (जिसमें से पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम हेतु 217 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है)। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1.4.1999 से अस्तित्व में आयी। इस परियोजना को एक ऐसे सम्पूर्ण कार्यक्रम के रूप में तैयार किया गया है ताकि यह ग्रामीण गरीबों के संगठन को स्व-सहायता समूहों में परिवर्तित करने जैसे स्व-रोजगार के सभी पहलुओं को तथा उनकी क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, सामूहिक गतिविधियों का नियोजन, ढांचागत विकास, बैंक ऋण तथा सब्सिडी के माध्यम से वित्तीय सहायता और विपणन सहायता आदि को अपने में शामिल कर सके। यह पहचान किए गए मुख्य कार्यकलापों में लघु उद्यमों के विकास में सामूहिक दृष्टिकोण अपनाने पर भी जोर देता है। निधियों का वहन केन्द्र तथा राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में किया जाता है। इस योजना के लक्षित समूह में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण गरीब परिवार शामिल हैं। लक्षित समूह के अन्तर्गत, इस योजना के मार्गनिर्देशों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 50 प्रतिशत, महिलाओं के लिए 40 प्रतिशत तथा विकलांगों हेतु 3 प्रतिशत की व्यवस्था की गई है। सरकारी, अर्द्ध सरकारी, गैर-सरकारी, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन तथा निजी कारपोरेट निकायों आदि जैसी विभिन्न एजेंसियों सहित इसका जिलों तथा क्षेत्र में विस्तार करते हुए समयबद्ध परियोजना प्रणाली के अन्तर्गत महत्वपूर्ण पहल करने की दृष्टि से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों का 15 प्रतिशत भाग स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना विशेष परियोजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित किया गया है।

ग्रामीण रोजगार : सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) 1 अप्रैल, 2008 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) में शामिल हो जाएगी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए केन्द्रीय परिव्यय 16000 करोड़ रुपए (जिसमें 1600 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए शामिल है) एनआरईजीए हर वित्त वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए जिसके वयस्क सदस्य स्वैच्छिक तौर पर अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की मजदूरी के रूप में रोजगार प्राप्त करने की कानूनी गारंटी प्रदान करने की व्यवस्था है। सरकार ने 2 फरवरी 2006 से प्रारंभ इस अधिनियम को इसके क्रियान्वयन के प्रथम चरण में देश के 200 जिलों में कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। चरण-II के तहत 130 जिलों को 1.4.2007 से अधिसूचित किया गया और उन्हें इसकी परिधि में लाया गया। इसके अन्तर्गत कुल 330 जिलों को शामिल कर लिया गया है। शेष जिलों को भी 1.4.2008 से अधिसूचित किया गया है ताकि इन्हें शामिल किया जा सके। ऐसा किए जाने से निर्धारित समय सीमा के भीतर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पूर्णत लागू हो जाएगा।

अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमः कुल आयोजना परिव्यय 383 करोड़ रुपए का है जिसमें डीआरडीए के प्रशासन के लिए (225 करोड़ रुपए), एनआईआरडी (13.50 करोड़ रुपए), कापार्ट (50 करोड़ रुपए), ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा) (27 करोड़ रुपए) और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और जिला नियोजन प्रक्रियाओं का सुदृढ़ीकरण (67.50 करोड़ रुपए) शामिल है। "पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एक मुश्त व्यवस्था" शीर्ष के अन्तर्गत अलग से 37 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

डीआरडीए प्रशासन स्कीम का उद्देश्य डीआरडीए को सुदृढ़ बनाना और इन्हें अधिक व्यावसायिक तथा प्रभावी बनाना है। इसे एक विशिष्ट एजेंसी के रूप में देखा जाता है जो एक ओर मंत्रालय के गरीबी-रोधी कार्यक्रमों का प्रबंधन करने में समर्थ होगी तो दूसरी और जिलों में गरीबी उन्मूलन के समग्र प्रयास इससे कारगर तरीके से सम्बद्ध होंगे। प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए इस स्कीम का निधियन केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 75:25 आधार पर किया जाता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) भारत में ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए शीर्ष निकाय है। ग्रामीण विकास के विकासात्मक मुद्दों और पंचायती राज के कार्यकर्ताओं के क्षमता निर्माण संबंधी पाठ्यक्रम आयोजित करना एनआईआरडी के मुख्य विषय हैं।

लोक कार्य और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद का लक्ष्य विकास कार्यक्रमों तथा आवश्यकता आधारित अभिनव परिवर्तन के क्रियान्वयन में गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों के जरिए लोगों को शामिल करना है। कपार्ट अधिक सामाजिक अभिप्रेरणा, सामाजिक विघ्नों को कम करने और ग्रामीण जनता को सशक्त करके ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए जन आन्दोलन सृजित करने के लिए कार्य करता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान का लक्ष्य गावों से शहरों में पलायन रोकने के लिए उनकी विकास क्षमता बढ़ाने हेतु अभिचिन्हांकित ग्रामीण समूहों में भौतिक और सामाजिक अवसंरचना में अन्तर को पाटना है।

"ग्रामीण विकास कार्यक्रम को प्रबंधकीय सहायता और जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण योजना" का लक्ष्य उचित आयोजना, समन्वयन और क्रियान्वयन, प्रशिक्षण और कौशल विकास, लक्षित समूहों के बीच जागरुकता लाना, प्रभावी मानीटरिंग और मूल्यांकन के लिए व्यापक पद्धति विकसित करना

और सूचना प्रौद्योगिकी एवं अन्तराष्ट्रीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की आवश्यकता पूरी करना है।

पंचायती राज : पंचायती राज मंत्रालय के लिए केन्द्रीय आयोजना परिव्यय 110 करोड़ रुपए (जिसमें से 11 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए निर्धारित है)। पिछड़ा क्षेत्र विकास अनुदान निधि के तहत राज्य आयोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता परिव्यय 4670 करोड़ रुपए है।

पंचायती राज मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण कार्य, संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 के उपबंधों और **जिला नियोजन समितियों से संबद्ध संविधान के भाग IX क के अनुरूप 243 यघ** के क्रियान्वयन की मानीटरी करना है। राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार योजना स्कीम पंचायतों की क्षमता में सुधार हेतु राज्यों को सहायता प्रदान करती है और उन्हें आवश्यक प्रशासनिक तथा आधारभूत सहायता उपलब्ध कराती है ताकि वे उन्हें सौंपे गए कार्यों तथा स्कीमों का प्रभावी ढंग से निष्पादन कर सकें। पंचायत सशक्तीकरण तथा जवाबदेही प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य पंचायत राज के राज्य मंत्रियों के सातवें गोलमेज सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों को सुधार कार्य करने तथा पंचायतों को शक्तियों की सुपुर्दगी हेतु प्रोत्साहित करना है। साथ ही पंचायतों को ऐसे सुधार कार्य करने हेतु शक्ति प्रदान करना भी है जिससे वे उन्हें सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन प्रभावी ढंग से कर सकें। त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी से प्रजातांत्रिक तरीके से जिला नियोजन समितियों का गठन विकेन्द्रीकृत आयोजना का आधार है। जिला नियोजन समितियों और जिला परिषदों के कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षणार्थ तकनीक सहायता योजनाको उद्देश्य गैर-बीआरजीएफ जिलों में जिला योजना तैयार करने हेतु जिला परिषदों को तकनीकी सहायता प्रदान करना है और इसके लिए 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। बीआरजीएफ ने केन्द्र और राज्यों के संयुक्त प्रयास से कार्यक्रम और नीतियां बनाने की पहल शुरू की है जो विकास बाधाओं को दूर करेगा, विकास प्रक्रिया त्वरित करेगा और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाएगा। इस योजना का लक्ष्य पिछड़े क्षेत्रों के लिए संकेन्द्रित विकास कार्यक्रम जो असंतुलन कम करने और विकास तेज करने में सहायता करेगा। पिछड़े जिलों में सभी स्तरों पर पंचायतों की बीआरजीएफ के तहत आयोजना और योजनाओं के क्रियान्वयन में केन्द्रीय भूमिका होगी।

भूमि सुधार : इस सेक्टर के लिए केन्द्रीय आयोजना परिव्यय 473 करोड़ रुपए (इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लिए 47.50 करोड़ रुपए शामिल है)। भूमि सुधारों के अंतर्गत राजस्व प्रशासन के सुदृढ़ीकरण व भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने की स्कीम के तहत, राज्यों को 50:50 के आधार पर और संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत के आधार पर सहायता दी जाती है। भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण (सीएलआर) की एक केंद्र प्रायोजित योजना भी क्रियान्वित की जा रही है। यह एक शत-प्रतिशत सहायता अनुदान योजना है। अब तक, देश के 582 जिलों को कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के तहत लाया गया है और योजना को 4423 तहसीलों/तालुकों/मंडलों में विस्तारित किया गया है। इन दो योजनाओं के स्थान पर, राष्ट्रीय भूमि संसाधन प्रबन्धन कार्यक्रम नामक एक संशोधित योजना को व्यापक प्रयोजन के साथ वर्ष 2008-09 से लाना प्रस्तावित है।

सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण

वृहत् और मध्यम सिंचाईः इस क्षेत्र के अन्तर्गत परिव्यय जल संसाधन सूचना प्रणाली के विकास, जल-विज्ञान परियोजना, जल संसाधन विकास योजना का अन्वेषण, जल क्षेत्र अनुसंधान तथा विकास, राष्ट्रीय जल अकादमी, सूचना, शिक्षा और संचार, नदी पाला संगठन/प्राधिकरण, आधारभूत संरचना विकास और बांध सुरक्षा अध्ययन तथा नियोजन के लिए है। इस क्षेत्र हेतु निर्धारित 204.40 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में मंत्रालय के अधीन कार्यरत विभिन्न संगठनों की आवश्यकताएं शामिल हैं।

लघु सिंचाई : कुल परिव्यय 100.90 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत जिन कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जाना है उनमें शामिल हैंः (i) भू-जल प्रबन्ध और विनियमन, और (ii) राजीव गांधी राष्ट्रीय भू-जल प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान ।

बाढ़ नियंत्रण : बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र में दो श्रेणी के कार्यक्रम शामिल हैंः (i) बाढ़ नियंत्रण योजनाएं/कार्यक्रम, और (ii) बाढ़ नियंत्रण कार्यों हेतु विभिन्न राज्यों को सहायता। इस कार्यक्रम में बाढ़ सम्बन्धी आंकड़ों का व्यवस्थित संग्रहण, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्थापित बाढ़ पूर्वानुमान तथा चेतावनी केन्द्रों के नेटवर्क के जरिए गहन निगरानी तथा बाढ़ पुर्वानुमान एवं चेतावनी जारी करना, भारत-बंग्लादेश संयुक्त नदी प्रबंध आयोग द्वारा अनुमोदित योजनाएं, गंगा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण हेतु मास्टर प्लान बनाने हेतु गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग और नेपाल एवं पड़ोसी देशों के साथ साझा नदियों पर बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के अन्वेषण और कोसी हाई डैम परियोजना का सर्वेक्षण तथा अन्वेषण शामिल है। विभिन्न राज्यों को बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए सहायता योजना, आयोग से परामर्श कर अन्तरित की गयी है ताकि राज्यों को प्रदान की जा रही सहायता पैटर्न में एकरूपता का सुनिश्चय हो सके। इस क्षेत्र के अन्तर्गत 211.50 करोड़ रुपए का परिव्यय तीन कार्यक्रमों हेतु रखा गया है; (i) बाढ़ पूर्वानुमान; (ii) सीमावर्ती क्षेत्रों में नदी प्रबन्ध गतिविधियां; तथा (iii) पग्लादिया बांध परियोजना ।

परिवहन सेवाएं : फरक्का बांध परियोजना का उद्देश्य भागीरथी हुगली नदी सिस्टम के डिजाइन तथा नौवहनता में सुधार करके कलकत्ता पोर्ट को सुरक्षित एवं बनाए रखना है। इस क्षेत्र हेतु 75 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

ऊर्जा

विद्युत : विद्युत मंत्रालय के लिए 40460.10 करोड़ रुपए (34460.10 करोड़ रुपए के आईईबीआर सहित) का परिव्यय रखा गया है जो मुख्य रूप से राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (13580 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय पन बिजली विद्युत निगम लि. (4385.19 करोड़ रुपए), दामोदर घाटी निगम लि. (6612.65 करोड़ रुपए), पूर्वोत्तर विद्युत निगम लि. (617.50 करोड़ रुपए), सतलुज जल विद्युत निगम लि. (556.84 करोड़ रुपए) टिहरी हाइड्रो विकास निगम लि. (804.92 करोड़ रुपए) तथा भारतीय विद्युत ग्रिड निगम लि., (8040 करोड़ रुपए) की स्कीमों/परियोजनाओं के लिए है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का परिव्यय मुख्यतः कोल्दम एचईपीपी, कहलगांव-II, (चरण-II) सीपत-I और II, कोरबा III, फरक्का III, एनसीटीपीपी-II, सिंहाद्री-II, तवोपन विष्णुगढ़, बाढ़ और लोहरी नागपल्ला विद्युत उत्पादन परियोजनाओं करनपुरा, बाढ़-II, दरलिपल्लि स्थित इसकी नई परियोजना के लिए है। दामोदर घाटी निगम हेतु आयोजना परिव्यय का आशय मेजिआ टीपीएस विस्तार-5 तथा 6, यूनिट 7 तथा 8 हेतु चन्द्रपुर टीपीएस विस्तार, कोदर्या टीपीएस चरण-I, दुर्गापुर इस्पात टीपीएस और मेथॉन आरबीटीपीएस (संयुक्त उपक्रम) के लिए है। राष्ट्रीय पन बिजली विद्युत निगम हेतु रखा गया परिव्यय मुख्यतः उनकी चल रही योजनाओं (सुबान्श्री लोअर, युरी-II, पर्वती-II तथा III, सेवा-II, चमेरा-III, निमू बाजगो, चुटक किसनगंगा और तीस्ता लोअर डैम-III तथा IV और कोतली I तथा II की नई प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए है।

भारतीय विद्युत ग्रिड "निगम लि. का परिव्यय बाढ़ कुंदनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना, एनएलसी-II विस्तार परियोजना, बाढ़ की पारेषण व्यवस्था, उत्तरी क्षेत्र/पश्चिम क्षेत्र इंटर कनेक्टर और अन्य पारेषण व्यवस्था सुदृढ़ करने वाली परियोजनाओं हेतु है। पूर्वोत्तर विद्युत निगम लिमिटेड के लिए परिव्यय कामेंग एचईपी, परे एचईपी तथा अन्य नई परियोजनाओं हेतु है टिहरी जल विद्युत निगम मुख्यतः कोटेश्वर, विष्णुघाट, पीपलकोरी जल विद्युत परियोजनाओं तथा टिहरी पम्प भण्डारण परियोजना के लिए है। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के लिए आयोजना परिव्यय मुख्यतः रामपुर तथा लुहरी एचईपी के लिए है।

ग्रामीण विद्युत ढांचागत और घरेलू विद्युतीकरण सम्बन्धी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को चार वर्षों की समयावधि में सभी ग्रामीण परिवारों में बिजली पहुंचाने के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अप्रैल, 2005 में प्रारम्भ किया गया था, 2001 की जनगणना के अनुसार, 44 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में बिजली पहुंच गयी है। ग्रामीण विद्युत ढांचागत सुधार, ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने तथा उसकी पूर्ण विकास क्षमता के दोहन के लिए आवश्यक है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम इस कार्यक्रम की नोडल एजेंसी है। इस योजना के अन्तर्गत, ग्रामीण विद्युत वितरण बैक-बॉन (आरईडीबी), ग्राम विद्युतीकरण अवसंरचना का सृजन (वीईआई) और विकेन्द्रीकृत वितरित उत्पादन तथा आपूर्ति की व्यवस्था करने हेतु परियोजनाओं

में 90 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी का वित्त पोषण किया जा सकता है। आरईडीबी, वीईआई तथा डीडीजी से कृषि तथा अन्य कार्यकलापों की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अविद्युतीकृत परिवारों को निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना को जारी रखने की स्वीकृति 3 जनवरी, 2008 को दी गयी। इसके चरण-I में 28,000 करोड़ रुपए की पूंजी सब्सिडी दी जाएगी। छोटी बस्तियों का कवरेज बढ़ाने के लिए, सरकार ने 300 छोटी बस्तियों के बजाय, 100 छोटी बस्तियों में विद्युतीकरण को स्वीकृति प्रदान की है।

ब्यूरो ऑफ इनर्जी एफिसिऐंसी को इसकी विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निधियां उपलब्ध करायी जाएंगी क्योंकि क्षमता को प्रोत्सहित करने के लिए सरकार द्वारा कई मांग पक्ष उपायों की शुरुआत की गयी है। सरकार ने एक स्वैच्छिक योजना को स्वीकृति प्रदान की है जिसमें खर्चीले बल्वों के स्थान पर कॉम्पेक्ट फ्लोरेसेंट लैम्पों को स्वच्छ विकास प्रणाली के तहत प्रमाणित उत्सर्जन अधिकार की बिक्री को उदार बनाकर-प्रोत्साहन देने की व्यवस्था है । सरकार आर्थिक विकास के ऊर्जा सघनता में सुधार लाने हेतु ऊर्जा सक्षम उत्पादों और प्रौद्योगियों को प्रोत्साहन देने की इच्छुक है। देश में उपभोक्ता दिशा निर्देश के माध्यम से ऊर्जा सक्षम उपस्करों के उपयोग का प्रोत्साहन देने के लिए एक मानक और लेबलिंग कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। इसके अलावा, वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा खपत घटाने के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन निर्माण कोड प्रारम्भ किया गया है। सरकार ने राज्य स्तर पर क्षमता निर्माण हेतु राज्य नामित एजेंसियों की मजबूती के लिए एक योजना भी स्वीकृत की है।

नाभिकीय ऊर्जाः नाभिकीय ऊर्जा के लिए कुल परिव्यय 3433 करोड़ रुपए है। आयोजना परिव्यय में 1592 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता और आं.ब.बा.सं. के 1841 करोड़ रुपए शामिल हैं। इस प्रावधान में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि. के लिए इक्विटी में निवेश के लिए प्रावधान शामिल है। इस प्रावधान में रूसी परिसंघ की सहायता से कुडनकुलम में भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम लि. द्वारा कार्यान्वित की जा रही विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए 951.90 करोड़ रुपए शामिल है। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र की परियोजनाएं विद्युत कार्यक्रम के लिए अनुसंधान व विकास सहायता प्रदान करने के लिए हैं।

पेट्रोलियम : पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का योजना परिव्यय 46565 करोड़ रुपए है। आयोजना परिव्यय में 25 करोड़ रुपए बजटीय सहायता और 46540 करोड़ रुपए आ.व.बा.स. के रूप में है। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, जैश, रायबरेली के लिए 25 करोड़ रुपए, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन (जिसमें प्राकृतिक गैस का परिवहन शामिल है) के लिए 32387.82 करोड़ रुपए, पेट्रोलियम उत्पादों के शोधन और विपणन के लिए 10036.83 करोड़ रुपए और 108 करोड़ रुपए की व्यवस्था इन्जीनियरिंग हेतु की गयी है। ओएनजीसी, गेल, एचपीसी, बीपीसीएल, एक आईओसी, ओआईएल आदि द्वारा किया गया निवेश परिव्यय के मुख्य घटक हैं।

कोयला और लिग्नाइट : भारतीय अर्थव्यवस्था में आधारभूत ढांचा आधार के लिए ऊर्जा क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए, कोयला के लिए आयोजना परिव्यय 2008-09 में 6897 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। इसे आंशिक रूप से 300 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता में से और आंशिक रूप से 6597 करोड़ रुपए के आं.ब.बा.सं. में से पूरा किया जाएगा।

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा : इस मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पारिस्थितिकी अनुकूल तथा अनवरत रूप से पूरा करने हेतु ऊर्जा से नवीन तथा नवीकरणीय संसाधनों को विकसित करना तथा उनका उपयोग करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वर्ष का वार्षिक आयोजना में 1267 करोड़ रुपए (जिसमें आं.ब.बा.सं. के रूप में 647 करोड़ रुपए शामिल हैं) का परिव्यय रखा गया है।

(क) *ग्रिड इंटरएक्टिव और वितरित नवीकरणीय विद्युत* - पवन, लघुपन, बायोमास विद्युत/सहसर्जन से वर्धित 2603 मेगावाट ग्रिड इंटरएक्टिव विद्युत, ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा से सम्बन्ध शहरी और औद्योगिक उपशिष्ट, 67.50 मेगावाट ऑफ ग्रिड/वितरित नवीकरणीय विद्युत पुणालियां।

(ख) *ग्रामीण अनु प्रयोग हेतु नवीकरणीय ऊर्जाः* 70 गावों/बस्तियों में गांव ऊर्जा सुरक्षा परियोजनाएं; 1500 सुदूर गांवों/बस्तियों में एसपीवी/अन्य आरई प्रणालियों और युक्तियों के माध्यम से विद्युत/प्रकाश की मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना, जिसमें डीआरपीएस भी शामिल है; सोलर कूकर-20,000, परिवार बायोगैस संयंत्र 0.30 मिलियन एम²

(ग) *शहरी, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक अनुप्रयोग हेतु नवीकरणीय ऊर्जाः* सौर वाटर हीटिंग सिस्टम 0.60 मिलियन एम2 का नियोजन; ऊर्जा-सक्षम भवनों को प्रोत्साहन; प्रदर्शन गतिविधियों (जिन्हें आईपीई गतिविधियों के अन्तर्गत कवर किया गया है) को सहायता देना, सोलर थर्मल सिस्टम/युक्तियां (सोलर-ड्राइंग, स्टीम जनरेशन) अक्षय ऊर्जा शॉप की स्थापना - आरपीओ शहर; ऊर्जा संयंत्रों से सम्बन्ध कुल 80 मेगावाट के शहरी तथा औद्योगिक अपशिष्ट जिन्हें ग्रिड इंटरएक्टिव तथा वितरित नवीकरणीय ऊर्जा के अन्तर्गत कवर किया गया है।

(घ) *नवीकरणीय ऊर्जा में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास* - नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विभिन्न पहलुओं पर आरडीएंड डी; एमएनआरई केन्द्रों/संस्थानों को सहायता (एसईसी, सी-वेट और एनआईआरई); मानक और परीक्षण; नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन मूल्यांकन।

(ङ) *सहायक कार्यक्रम* - नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों का सूचना, प्रचार तथा विस्तार; अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध; मानव संसाधन विकास तथा प्रशिक्षण सहित प्रशासन और मॉनीटरिंग; राज्यों को सहायता, सरकारी उद्यम और उद्योग।

उद्योग और खनिज

लोहा एवं इस्पात उद्योगः इस्पात मंत्रालय के लिए आयोजना परिव्यय 9543 करोड़ रुपए का है जिसका वित्त पोषण 34 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता एवं 9509 करोड़ रुपए के आंतरिक और बजट-बाह्य संसाधनों से किया जाएगा। कुल परिव्यय का आवंटन इस प्रकार किया गया हैः (i) भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) के लिए 4674 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है। सेल के अंतर्गत योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए परिव्यय के मुख्य ब्यौरों में शामिल हैंः (i) भिलाई इस्पात संयत्र के लिए 1149 करोड़ रुपए, जो कोक ओवन बैट्री सं. 5 का पुनर्निर्माण, स्लैब कास्टर की स्थापना, मुख्य स्टेप डाउन स्टेशन-5 और 700 टीपीडी ऑक्सीजन संयंत्र जैसी चल रही योजनाओं तथा भिलाई इस्पात संयत्र के आधुनिकीकरण और विस्तार जैसी नई योजनाओं पर व्यय के लिए है; (ii) दुर्गापुर इस्पात संयत्र के लिए 336 करोड़ रुपए जिसमें सम्बद्ध सुविधाओं सहित ब्लूम कास्टर, बीएफ-3 और 4 में कोल डस्ट इंजेक्शन जैसी योजनाओं और डीएसपी के विस्तार जैसी नई योजनाओं पर व्यय शामिल है; (iii) राउरकेला इस्पात संयत्र को बीएफ 4 में सीडीआई प्रणाली की स्थापना, सीओबी-4 का पुनर्निर्माण, 700 टीपीडी आक्सीजन संयत्र और कोक ओवन गैस होल्डर जैसी योजनाओं पर व्यय के लिए 719 करोड़ रुपए (iv) बोकारो इस्पात संयत्र को 791 करोड़ रुपए कोकिंग कोयला भंडारण सुविधाओं में वृद्धि, बीएफ-2 और 3 में सीडीआई प्रणाली की व्यवस्था, एसएमएस-II में दूसरे लैडल फर्नेस की स्थापना, बीएफ-2 और अन्य योजनाओं का उन्नयन के लिए; (v) एओडी और ईएएफ की स्थापना, एएसपी का विस्तार और 10 करोड़ रुपए से कम लागत की अन्य योजनाओं के लिए मिश्रित इस्पात संयत्र के लिए 60 करोड़ रुपए; (vi) इस्को इस्पात संयत्र को 1111 करोड़ रुपए की उसके विस्तार (961 करोड़ रुपए), सीओबी-10 के पुनर्निर्माण (60 करोड़ रुपए) और शेष राशि अन्य योजनाओं के लिए व्यवस्था की गई है। (vii) सलेम इस्पात संयत्र को 230 करोड़ रुपए जिसका मुख्य हिस्सा इसके विस्तार (200 करोड़ रुपए) और कम मूल्य की विविध योजनाओं के लिए है; (viii) 278 करोड़ रुपए का शेष परिव्यय विश्वैसरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड (58 करोड़ रुपए), सेल की केन्द्रीय इकाईयों (60 करोड़ रुपए), कच्चा माल प्रभाग (150 करोड़ रुपए) और महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड (10 करोड़ रुपए) के लिए है; (2) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के लिए 4166 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस परिव्यय की 3000 करोड़ रुपए की राशि का मुख्य हिस्सा इस निगम की उत्पादन क्षमता 6.5 मिलियन टन तक बढ़ाने हेतु निर्धारित की गई है। एएमआर स्कीमों, कोक ओवन बैट्री सं. 4 (चरण-I और II), लौह अयस्क और कोकिंग कोयला खानों का अधिग्रहण, 330 टीपी एच बॉयलर सहायक उपकरणों सहित, लौह अयस्क भंडारण सुविधाओं, विद्युत निष्क्रमण प्रणाली आदि के लिए भी प्रावधान किया गया है, इस परिव्यय को कंपनी के आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाएगा; (3) 5 करोड़ रुपए स्पोंज आयरन इंडिया लिमिटेड के लिए; (5) 8 करोड़ रुपए भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड के लिए; (6) राष्ट्रीय

खनिज विकास निगम को बैलाडिला डिपोजिट-11वीं, कर्नाटक में विंडमिल, अन्य उद्यमों में निवेश, स्पोंज आयरन और विद्युत संयत्र तथा एएमआर के लिए, टाउनशिप और अनुसंधान व विकास योजनाओं के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है; (7) कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लिमिटेड को 100 करोड़ रुपए डक्टाइल ऑयरन स्पन पाइप प्लांट, मंगलौर में रेल द्वारा लौह अयस्क की प्राप्ति के लिए अवसंरचना का विकास, एएमआर स्कीमों तथा अनुसंधान व विकास/व्यवहार्यता अध्ययनों के लिए तथा इको टाउन डवलपमेंट, कोल इंजेक्शन सिस्टम और कोक ओवन सयंत्र जैसी योजनाओं के लिए; (8) मैगनीज ओर इंडिया लिमिटेड को फेरो मैगनीज/सिल्को मैगनीज संयत्र के लिए संयुक्त उद्यम में निवेश, पवन ऊर्जा उत्पादन, बालाघाट में सिंटरिंग संयत्र जैसी योजनाओं के लिए तथा एएमआर स्कीमों, टाउनशिप और अनुसंधान व विकास/व्यवहार्यता अध्ययनों के लिए 117.20 करोड़ रुपए; (9) बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीय को वनीकरण और लीज मामलों, खनिज और अयस्क आधारित उद्योगों तथा एएमआर स्कीमों के लिए 31 करोड़ रुपए; (10) एमएसटीसी को स्टॉकयार्ड/भाण्डागारण सुविधाओं की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए; (11) फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड को 11.80 करोड़ रुपए (12) लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान व विकास को बढ़ावा देने के लिए 18.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था ताकि पर्यावरण अनुकूल ढंग से उत्तम गुणवत्ता के इस्पात के लागत प्रभावी उत्पादन के लिए नूतन/दूरगामी और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु अनुसंधान व विकास को प्रोत्साहित करने और उसमें तेजी लाने के लिए एक नई योजना/तंत्र तैयार किया जा सके।

अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगः खान मंत्रालय का परिव्यय 2160 करोड़ रुपए है, जिसमें 1960 करोड़ रुपए के आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन शामिल हैं। परिव्यय मुख्यतः निम्नलिखित के लिए हैः-

(क) एल्युमीनियम (नाल्को) - 1888 करोड़ रुपए;
(ख) तांबा (हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड) - 60 करोड़ रुपए;
(ग) खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड - 20 करोड़ रुपए;
(घ) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण - 144 करोड़ रुपए;
(ङ) भारतीय खान ब्यूरो - 17.10 करोड़ रुपए;

उर्वरक उद्योगः इस हेतु 1878.93 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जिसमें से, 1678.93 करोड़ रुपए की पूर्ति आंतरिक तथा बजट बाह्य संसाधनों से की जाएगी और शेष 200 करोड़ रुपए की राशि बजटीय सहायता द्वारा प्रदान की जाएगी। यह परिव्यय फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (13 करोड़ रुपए), ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स निगम लि. (20 करोड़ रुपए), मद्रास उर्वरक लिमिटेड (12.97 करोड़ रुपए),राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड (154.25 करोड़ रुपए), प्रोजेक्ट डेवलेपमेंट इंडिया लिमिटेड (4.85 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (812.43 करोड़ रुपए), कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड (685 करोड़ रुपए) एफसीआई -एफएजीएमआईएल (22.40 करोड़ रुपए) के लिए है।

रसायन और भेषज उद्योगः रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के लिए परिव्यय 301.68 करोड़ रुपए (आंतरिक और बजट बाह्य सहायता के रूप में 6.68 करोड़ रुपए सहित) है जिसमें से 100 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्धारित 29.50 करोड़ रुपए सहित) लबेट कोटा डिब्रूगढ़ (असम) में पेट्रोलियम गैस क्रैकर कॉम्पलेक्स की स्थापना के लिए; 6 नए राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, जो अहमदाबाद (गुजरात), हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), हाजीपुर (बिहार), कोलकाता (पश्चिम बंगाल), गुवाहाटी (असम) और रायबरेली (उत्तर प्रदेश) में एक-एक होगा, की स्थापना के लिए भी आबंटन किए गए हैं।

इंजीनियरी उद्योगः इस क्षेत्र के लिए कुल परिव्यय 1849.57 करोड़ रुपए है, जिसमें से, 1357.37 करोड़ रुपए भारी उद्योग विभाग, 384.20 करोड़ रुपए नौवहन विभाग और 108 करोड़ रुपए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के लिए हैं।

भारी उद्योग विभाग : भारी उद्योग विभाग के लिए आयोजना परिव्यय 3346.65 करोड़ रुपए है जिसमें 55 करोड़ रुपए उत्तर-पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लिए, 125 करोड़ रुपए राष्ट्रीय आटोमेटिव परीक्षण और अनु. व वि. अवसंरचना परियोजना (एनएटीआरआईपी), 119.93 करोड़ रुपए सीमेन्ट और अधात्विक उद्योगों के लिए अर्थात भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लि., भारत यन्त्र निगम लि., भारत भारी उद्योग निगम लि., हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि., स्कूटर्स इंडिया लि., इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि. आदि और 1695.15 करोड़ रुपए उपभोक्ता उद्योगों अर्थात हिन्दुस्तान साल्ट्स लि., टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि. और हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट लि. के लिए हैं। वार्षिक आयोजना में, मौटे तौर पर, रुग्ण पब्लिक सेक्टर उद्यमों के पुनरुद्धार/पुनर्गठन, आटो क्षेत्र में परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास परियोजना का क्रियान्वयन और कैपिटल गुडस स्कीमें एवं जहां आवश्यक हो, जोड़/परिवर्तन/प्रतिस्थापन शामिल हैं। एनसीएमपी के तहत नीति के अनुसार रुग्ण/घाटे के पीएसई के पुनरुद्धार के प्रयास शुरू किए गए हैं। भारी उद्योग विभाग द्वारा बीआरपीएसई को भेजे गए सभी 25 पीएसई मामलों पर विचार किया गया है। इन अनुशंसाओं से होने वाली आवश्यकताओं के लिए पुनरुद्धार योजना में परिकल्पित पूंजी निवेश योजनाओं के लिए निधियां मांगी गई हैं, जिसे पीएसई के पुनर्गठन संबंधी शीर्ष से निधि पोषण करने का प्रस्ताव है।

परमाणु उर्जा उद्योग : परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए 2487 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है, जिसमें बजटीय सहायता के माध्यम से 1958 करोड़ रुपए तथा आन्तरिक बाह्य बजटीय सहायता के माध्यम से 529 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसमें उद्योग और खनिज क्षेत्र के लिए 1259 करोड़ रुपए की राशि शामिल है जिसमें 730 करोड़ रुपए बजटीय सहायता और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों से 486 करोड़ रुपए शामिल है। बजटीय सहायता में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, नाभिकीय ईंधन परिसर और गुरु जल बोर्ड तथा विकिरण और संस्थानिक प्रौद्योगिकी बोर्ड की दसवीं पंचवर्षीय योजना में चल रही योजनाओं और ग्यारहवीं योजना की नई स्कीमों के लिए व्यवस्था की गई है। यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. की इक्विटी के रूप में बजटीय सहायता निवेश की परिकल्पना भी की गई है। 529 करोड़ रुपए के आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों में इस विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड (110 करोड़ रुपए), इलेक्ट्रानिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (43 करोड़ रुपए) और यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (376 करोड़ रुपए) के प्रावधान शामिल हैं।

माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्योग : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के लिए 1854 करोड़ रुपए (आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों के रूप में 60 करोड़ रुपए सहित) का परिव्यय है। इसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि., खादी और ग्रामीण उद्योग, कयर उद्योग और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के संवर्धन के लिए परिव्यय शामिल है। बजटीय आवंटन मुख्यतया ऋण सहायता कार्यक्रम (122.67 करोड़ रुपए), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (738 करोड़ रुपए), प्रौद्योगिकी सहायता संस्थान और कार्यक्रम की गुणवत्ता (244.35 करोड़ रुपए) तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ परियोजना स्कीमों (179.65 करोड़ रुपए) के लिए है।

वस्त्रोद्योगः वस्त्रोद्योग मंत्रालय के लिए परिव्यय 2500 करोड़ रुपए है जिसमें प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के लिए 1090 करोड़ रुपए, एकीकृत टेक्साटाइल पार्क योजना (एसआईटीपी) के लिए 425 करोड़ रुपए, कपास प्रौद्योगिकी मिशन के लिए 50 करोड़ रुपए और ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के तहत 543.50 करोड़ रुपए तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में हथकरघा, पावरलूम, रेशम उद्योग, हस्तशिल्प, ऊन और ऊनी क्षेत्र जूट प्रौद्योगिकी मिशन, टीयूएफएस/एसआईटीपी के विकास के लिए 250 करोड़ रुपए शामिल है।

परिवहन

रेलवे : रेलवे का वार्षिक आयोजना परिव्यय 37500 करोड़ रुपए है। इस राशि में से, 7837.90 करोड़ रुपए की पूर्ति बजटीय सहायता से की जाती है, जिसमें रेलवे का अंशदान डीजल उपकर में से 773.90 करोड़ रुपए शामिल है। प्रस्तावित लक्ष्य 3750 कि. मी. का ट्रैक नवीनीकरण, 700 रूट किमी. का विद्युतीकरण, 2150 रूट किमी. का गेज परिवर्तन, 350 किमी. की नई रेल लाइनें, 1000 कि. मी. दोहरी लाइन बिछाना तथा अतिरिक्त 490 रेल इंजनों का विनिर्माण हैं करके लक्ष्य प्राप्त किस्म जाने का प्रस्ताव है।

सड़क परिवहन और राजमार्गः सड़क नेटवर्क का विकास तथा उचित रख-रखाव आर्थिक विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा अंतरक्षेत्रीय अंतरों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस महत्वपूर्ण अवसंरचना क्षेत्र में निवेश

पर बल देने के लिए बजटीय सहायता बढ़ाई गई है। निम्नलिखित सारणी वर्ष 2008-09 के लिए केंद्रीय सड़क निधि से व्यय का प्रावधान दर्शाती है :-

(करोड़ रुपए)

मद		
-	राज्यों को अनुदान	1605.82
-	राज्यों को अन्तर्राज्यीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान	175.74
-	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान	65.82
-	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तर्राज्यीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान	10.00
-	एनएचएआई में निवेश	6972.47
-	रेलवे	773.90
-	ग्रामीण सड़कें	4046.25
	जोड़	**13650.00**

नौवहन- भारतीय नौवहन, पत्तनों, अंतर्देशीय जल परिवहन और पोतनिर्माण उद्योगों के विकास और विस्तार के लिए नौवहन विभाग का आयोजना परिव्यय 6609 करोड़ रुपए है (जिसमें आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों के रूप में 6009 करोड़ रुपए शामिल है)।

नागर विमाननः नागर विमानन मंत्रालय के लिए 10031 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जिसमें 190 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता शामिल है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 95.88 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता प्रदान की गई है जिसमें से औरंगाबाद हवाई अड्डे की विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए, पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई अड्डों के विकास हेतु 20 करोड़ रुपए तथा 30.88 करोड़ रुपए की शेष राशि अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे जम्मू व कश्मीर, पुदुचेरी आदि में हवाई अड्डों के विकास के लिए है। 63 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता नागर विमानन महानिदेशालय के लिए दी गई है जिसमें से 58 करोड़ रुपए गोंडिया महाराष्ट्र में नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना के लिए है। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के लिए अपनी आयोजना स्कीमों की व्यय का पूर्ति हेतु 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

सड़कें और पुलः इस क्षेत्र के लिए की गयी कुल 7530 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता में से 455 करोड़ रुपए का प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए रखा गया है।

ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए प्रावधान रखा गया है। 25 दिसम्बर, 2000 को आरम्भ की गई यह योजना शत प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य 500 व्यक्तियों से अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क मार्ग से नहीं जुड़ी हुई बस्तियों को जोड़ना है। पहाड़ी राज्यों (पूर्वोत्तर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तराखंड) और मरूस्थल क्षेत्रों के संबंध में 250 अथवा अधिक व्यक्तियों की आबादी वाली बस्तियों को सड़क मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य है। न्यून प्राथमिकता के तौर पर आधुनिकीकरण के हिस्से के रूप में मौजूदा ग्रामीण सड़कों को बेहतर बनाया जाएगा। आशा है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1.79 लाख बस्तियों को शामिल किया जाएगा। इसके अंतर्गत 3,71,725 कि.मी. सड़कों का निर्माण नई कनेक्टविटी हेतु तथा 3,68,000 कि.मी. नई सड़कों का उन्नयन किया जाएगा जिसकी अनुमानित लागत 1,32,000 करोड़ रुपए होगी।

ग्रामीण सड़कों की पहचान भारत निर्माण के छः घटकों में से एक घटक के रूप में की गयी है जिसका लक्ष्य 2009 तक 1000 (पहाड़ी अथवा जनजातीय इलाकों के मामले में 500) की आबादी वाले सभी गांवों को हर मौसम में अच्छी हालत में रहने वाली सड़कों से जोड़ना है। भारत निर्माण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2009 तक 1,46,185 कि.मी. लम्बी सड़कों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है । इससे देश में 66,802 पात्र बस्तियों को जो अभी तक इन अच्छी हालात वाली सड़कों से नहीं जुड़ी हैं, को लाभ मिलेगा। खेत का बाजार से अच्छे सम्पर्क मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा 1,94,132 कि. मी. लम्बे सम्पर्क मार्गो का उन्नयन किया जाएगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 48,000 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश किए जाने का प्रस्ताव है।

संचार

डाक सेवाएंः 600 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। इसमें भारतीय डाक का प्रौद्योगिकी समावेशन और उद्यमिता प्रबंधन के जरिए समग्र विकास और प्रतिस्थापन पर जोर दिया गया है। नेटवर्क का प्रभावी ढंग से उपयोग और विभिन्न अभिकरणों/संगठनों के साथ संयोजन के जरिए मूल्य वर्द्धित सेवाओं, विशेषकर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को पहुंचाने का लक्ष्य है। योजना की स्कीमें और मांगें उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु निर्देशित हैं। आयोजना का मुख्य जोर सूचना प्रौद्योगिकी समावेशन संबंधी स्कीमों - डाक संचालन, मेल संचालन, विपणन, अनुसंधान और उत्पाद विकास, मानव संसाधन प्रबंधन, बैंकिंग और मनीट्रांसफर आपरेशन, इस्टेट मैनेजमेंट और पोस्टल नेटवर्क पहुंच पर है। अन्य प्रमुख परियोजनाओं में बीमा संचालन, टिकट संचालन, सामग्री प्रबन्ध और गुणवत्ता प्रबन्धन शामिल है। एक नई योजना "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी भुगतान के लिए सहायता" वर्ष 2008-09 में आरंभ की गई है जिसके लिए 80 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कुल परिव्यय में से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

दूरसंचार सेवाएं तथा अन्य संचार सेवाएंः दूर संचार विभाग के लिए परिव्यय 21434.60 करोड़ रुपए है जिसमें 375 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता शामिल हैं। सी-डॉट, बेतार आयोजना समन्वयन, बेतार मानीटरिंग सेवाएं, दूरसंचार इंजीनियरिंग केन्द्र, भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण, टीडीएसएटी, रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क, दूरसंचार परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणन केन्द्र की स्थापना, मुख्य भू भाग और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के बीच समुद्रगत केबलिंग प्रौद्योगिकी विकास और निवेश संवर्धन तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय (महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड 2430.97 करोड़ रुपए, भारत संचार निगम लिमिटेड 18591 करोड़ रुपए और सी सी-डॉट 37.63 करोड़ रुपए) का प्रावधान है। बजटीय सहायता में सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 37.50 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है।

सूचना प्रौद्योगिकीः सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) देश में इलेक्ट्रोनिक और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के संवर्धन हेतु राष्ट्रीय नीतियां तैयार करने, क्रियान्वयन करने एवं समीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। डीआईटी के लिए आयोजन परिव्यय 1952.14 करोड़ रुपए (जिसमें आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों के रूप में 272.14 करोड़ रुपए शामिल है)। इस आयोजना का फोकस निम्नलिखित योजनाओं के सम्बन्ध में है (i) अनुंसधान और विकास कार्यक्रम (245.22 करोड़ रुपए), (ii) ढांचागत विकास (875.89 करोड़ रुपए) जिसमें ई-गवर्नेस (800 करोड़ रुपए) शामिल है, (iii) मानव संसाधन विकास (45.55 करोड़ रुपए), (iv) एनआईसी (400 करोड़ रुपए), (v) डीआईटी मुख्यालय (13.34 करोड़ रुपए) और (vi) एक नई योजना अर्थात् राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (100 करोड़ रुपए)। बजटीय सहायता में सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु 168 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है, विभाग के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं - (i) आम आदमी तक सभी सरकारी सेवाओं की पहुंच के लिए ई-गवर्नेंस, राष्ट्रीय ई-गवर्नेस आयोजना (एनईजीपी) में 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट और 8 सहायता संघटक शामिल हैं जिसे केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारी स्तरों पर कार्यान्वित किया जाएगा; (ii) इलेक्ट्रॉनिक्स/आईटी हार्डवेयर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स/आईटी हार्डवेयर विनिर्माण उद्योग कार्यक्रम; (iii) राष्ट्रीय साइबर स्पेश और इसकी परिसम्पत्तियों की रक्षा के लिए साइबर सुरक्षा रणनीति में बहु-आयामी कार्रवाई शामिल है; (iv) उभरती ज्ञान अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पूर्ति हेतु चुनिंदा क्षेत्रों में क्षमता निर्माण हेतु मानव संसाधन विकास कार्यक्रम (नैनो टेक्नोलॉजी, विद्युत तथा संचार, कम्प्यूटर विज्ञान, जैव-प्रौद्योगिकी, आधारभूत संरचना, ऊर्जा, विनिर्माण, मेकाट्रोनिक्स) और (v) आईटी/आईटीईएस/इलेक्ट्रोनिक्स हार्डवेयर विनिर्माण में विकास में तेजी लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी निषेझ क्षेत्र और (v) अनुसंधान और विकास।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण

परमाणु ऊर्जा अनुसंधानः अनुसंधान और विकास क्षेत्र के लिए 1228 करोड़ रुपए का आयोजना परिव्यय भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र, परिवर्ती ऊर्जा, साइक्लोट्रोन केन्द्र, परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, टाटा स्मारक केन्द्र, साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान,

भौतिकी संस्थान, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, हरिश्चन्द्र अनुसंधान संस्थान, गणित विज्ञान संस्थान, परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसाइटी में निरन्तर अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकियों का विकास तथा परमाणु ऊर्जा अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम और नाभिकीय विज्ञान अनुसंधान बोर्ड, राष्ट्रीय उच्च गणित बोर्ड आदि जैसे इसके अनुसंधान केन्द्रों के माध्यम से परमाणु ऊर्जा की दसवीं योजना की जारी स्कीमों को और XI वीं योजना की नई स्कीमों को कार्यान्वित करने हेतु है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए नाभिकीय विज्ञान के क्षेत्र में नाभिकीय विज्ञान अनुसंधान बोर्ड, राष्ट्रीय उच्च गणित बोर्ड जैसी दूसरी संस्थाओं के लिए निधिपोषण है। अंतर्राष्ट्रीय थरमोन्युक्लियर प्रयोगिक रिएक्टर, राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर में शिक्षा और अनुसंधान, ज्यूल्स होरोबिट्ज रिएक्टर एंड डीएई-यूआईसीटी सेंटर फॉर केमिकल इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड रिसर्च में भारतीय भागीदारी के लिए व्यय की व्यवस्था करने हेतु। परिव्यय में परमाणु अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय द्वारा यूरेनियम के सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण अन्वेषण जैसी अन्य परियोजनाएं भी शामिल हैं।

अंतरिक्ष अनुसंधानः अंतरिक्ष विभाग के लिए वार्षिक आयोजना परिव्यय 3600 करोड़ रुपए है, जिसमें निम्नलिखित के लिए प्रावधान शामिल हैंः-

(i) अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिये, 2313.75 करोड़ रुपए जिसमें यह शामिल है (क) प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के लिए 1434.74 करोड़ रुपए जिसमें शामिल हैं; भू-सहवर्ती सैटेलाइट प्रक्षेपण यान (जीएसएलवी) परियोजना के लिए 1 करोड़ रुपए, जीएसएलवी एमके-III विकास के लिए 270 करोड़ रुपए, क्रायोजेनिक अपर स्टेज (सीयूएस) परियोजना के लिए 0.10 करोड़ रुपए, पोलर सैटेलाइट प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी-सी) जारी रखने की परियोजना के लिए 180 करोड़ रुपए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र (वीएसएससी) के लिए 303.87 करोड़ रुपए, इसरो इनर्शियल सिस्टम्स यूनिट (आईआईएसयू) के लिए 23.16 करोड़ रुपए, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर (एलपीएससी) के लिए 157.86 करोड़ रुपए, जीएसएलवी प्रचालनात्मक परियोजना के लिए 255 करोड़ रुपए तथा अंतरिक्ष कैप्सूल रिकवरी प्रयोग के लिए 10 करोड़ रुपए, मानव संचालित मिशन पहलों मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए 125 करोड़ रुपए, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए 65.25 करोड़ रुपए, सेमी क्रायोजेनिक इंजन/चरण विकास के लिए 22.50 करोड़ रुपए; (ख) उपग्रह प्रौद्योगिकी के लिए 670.41 करोड़ रुपए, जिसमें ओशनसेट-2 और 3 के लिए 10 करोड़ रुपए शामिल है, रिसोर्स सैट-2 और 3 के लिए 35 करोड़ रुपए, इसरो उपग्रह केन्द्र (आईएसएसी) के लिए 164.49 करोड़ रुपए, इलेक्ट्रोऑप्टिक सिस्टम की प्रयोगशाला के लिए 37.14 करोड़ रुपए, इमेजिंग सैटेलाइट-1 (रिसाट-1) के लिए 25 करोड़ रुपए जी-सेट-4 परियोजना के लिए 7 करोड़ रुपए, नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम के लिए 270 करोड़ रुपए, सेमी कंडक्टर प्रयोगशाला के लिए 34.28 करोड़ रुपए, विकसित संचार उपग्रह के लिए 22.50 करोड़ रुपए और अर्थ अवजर्वेशन-नई मिशन के लिए 65 करोड़ रुपए और (ग) प्रक्षेपण सहायता, ट्रैकिंग नेटवर्क और रैंज सुविधाओं के लिए 229.60 करोड़ रुपए जिसमें सतीश धावन अंतरिक्ष केन्द्र (एसडीएससी-एसएचआर) के लिए 182.74 करोड़ रुपए, इसरो टेलीमेटरी ट्रैकिंग और कमाण्ड नेटवर्क (आईएसटीआरएसी) के लिए 46.86 करोड़ रुपए शामिल है।

(ii) अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए 279.34 करोड़ रुपए का प्रावधान है जिसमें अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (एसएसी) के लिए 111.17 करोड़ रुपए, विकासात्मक और शैक्षिक संचार यूनिट (डीईसीयू) के लिए 53.81 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन सिस्टम (एनएनआरएमएस) के लिए 28.23 करोड़ रुपए, अर्थ अबजर्वेशन एप्लीकेशन मिशन (ईओएएम) के लिए 2.68 करोड़ रुपए, क्षेत्रीय दूरस्थ संवेदी सेवा केन्द्रों के लिए 11.10 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदी एजेंसी (एनआरएसए) के लिए 3 करोड़ रुपए, आपदा प्रबंधन सिस्टम के लिए 65 करोड़ रुपए और पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (एनई-एसएसी) के लिए 4.35 करोड़ रुपए शामिल है।

(iii) अंतरिक्ष विज्ञान के लिये 249.94 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पी.आर.एल.) के लिये 35.72 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय वायुमण्डलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (एनएआरएल) के लिए 10.35 करोड़ रुपए, अकादमी संस्थाओं में प्रायोजित अनुसंधान (रेस्पोंड) परियोजनाओं में 13 करोड़ रुपए, सेंसर पेलोड विकास/उपग्रहीय विज्ञान कार्यक्रम के लिए 25 करोड़ रुपए, मेगा ट्रोपिक परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपए, एस्ट्रोसैट 1 और 2 परियोजना के लिए 25 करोड़ रुपए, इंडियन लूनर मिशन चन्द्रयान-1 और 2 के लिए 78 करोड़ रुपए, इसरो ज्योस्फेर-बायोस्फेर कार्यक्रम के लिए 19 करोड़ रुपए, वायुमण्डलीय विज्ञान कार्यक्रम के लिए 14.49 करोड़ रुपए वायुमंडलीय अध्ययन और खगोल विज्ञान हेतु छोटे उपग्रह के लिए 10 करोड़ रुपए और अन्तरिक्ष विज्ञान संवर्धन, बैलून सुविधा, बहु एजेंसी वित्तपोषित परियोजनाओं, माइक्रो गुरुत्वकर्षण अनुसंधान अनुप्रयोग, प्रादेशिक मौसम के पूर्वानुमान के लिए मॉडलिंग (पीआरडब्ल्यूएनएएम) के लिए 19.38 करोड़ रुपए आदि शामिल है।

(iv) इंसेट कार्यात्मकता के लिए 392.77 करोड़ रुपए का प्रावधान है जिसमें मास्टर कंट्रोल सुविधा (एमसीएफ) के लिए 42.77 करोड़ रुपए का प्रावधान, इनसैट 3 सैटेलाइट परियोजना के लिए 10 करोड़ रुपए जिसमें प्रक्षेपण सेवाएं शामिल हैं, और प्रक्षेपण सेवाओं सहित इनसैट-4 उपग्रह परियोजना के लिए 340 करोड़ रुपए शामिल है।

(v) निदेशन और प्रशासन/अन्य कार्यक्रम के लिए 364.20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिसमें स्पेशियल इंडीजेनाइजेशन/एंडवांस ऑर्डरिंग के लिए 350 करोड़ रुपए और इसरो मुख्यालय, सीईडी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केन्द्र प्रबंधन जैसे अन्यों के लिए 14.20 करोड़ रुपए शामिल है।

समुद्र विज्ञान अनुसंधानः पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के लिए 750 करोड़ रुपए का परिव्यय है जिसमें 294 करोड़ रुपए समुद्र विज्ञान अनुसंधान के लिए 432 करोड़ रुपए मौसम विज्ञान के लिए और 24 करोड़ रुपए अन्य वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए हैं। समुद्र विज्ञान अनुसंधान के अन्तर्गत (i) 35.50 करोड़ रुपए ध्रुव विज्ञान के अन्तर्गत रखे गए हैं जिसमें अन्टार्टिका और दक्षिणी महासागर अध्ययन में भारतीय प्रयासों को जारी रखने पर व्यय करने हेतु और 15 करोड़ रुपए देश में अनुसंधान सुविधाओं की स्थापना हेतु राष्ट्रीय अन्टार्टिका एवं महासागर अनुसंधान के अन्तर्गत मुहैया कराए गए हैं; (ii) 5 करोड़ रुपए तटीय अनुसंधान पोतों के लिए व्यवस्था है; (iii) 15 करोड़ रुपए की राशि की पोलिमेटैलिक नोडयूल्य के लिए अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास के लिए व्यवस्था की गयी है; (iv) 13 करोड़ रुपए की राशि महासागर पर्यवेक्षण और सूचना प्रणाली कार्यक्रम के लिए उपलब्ध होगी और 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के लिए है; (v) 10 करोड़ रुपए महासागर डाटा बाय कार्यक्रम के लिए मुहैया कराए गए हैं; (vi) राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान को उसकी गतिविधियों के लिए 20 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, 10 करोड़ रुपए पृथक रूप से सी फ्रंट सुविधा के लिए उपलब्ध कराए गए हैं, 10 करोड़ रुपए समुद्री जल का खारापन दूर करने की परियोजना के लिए उपलब्ध कराए गए हैं; (vii) 24 करोड़ रुपए समुद्री संसाधन, जैविक समुद्र से औषधि, समुद्री इतर-जैविक संसाधन, एकीकृत तटीय और समुद्री क्षेत्र प्रबंधन, जनशक्ति प्रशिक्षण, प्रदर्शनियां, समुद्री अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम के अधीन सेमिनार और संगोष्ठी के लिए सहायता जैसी विभाग की अन्य चल रही गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं; (viii) 5 करोड़ रुपए, 12 करोड़ रुपए और 12 करोड़ रुपए क्रमशः सम्पूर्ण भारतीय ईईजेड का व्यापक स्वैथ बाथमेट्रिक (धरातलीय) सर्वेक्षण, गैस हाइड्रेट कार्यक्रम और नए अनुसंधान जलयान के अधिग्रहण के लिए किया गया है। (ix) हिन्द महासागर में सूनामी और तूफान आने की चेतावनी देने की प्रणाली की स्थापना के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है; (x) 5 करोड़ रुपए समुद्र के अंदर लगाई जाने वाली मशीनों के विकास के लिए है; (xi) 5 करोड़ रुपए मल्टी चैनल भूकंपीय प्रणाली की स्थापना के लिए उपलब्ध कराए गए हैं; (xii) 2 करोड़ रुपए एक आर्कटिक अभियान के लिए एक सांकेतिक प्रावधान के रूप में रखे गए हैं; (xiii) 0.50 करोड़ रुपए राष्ट्रीय समुद्री शाला के लिए रखे गए हैं; (xiv) 0.50 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रायोगिक परियोजना के माध्यम से तटीय सुरक्षा उपायों के प्रदर्शन के लिए सांकेतिक प्रावधान के रूप में किया गया है; (xv) 4 करोड़ रुपए राशि की एकीकृत महासागर ड्रिलिंग कार्यक्रम (आईओडीपी) के लिए व्यवस्था है; (xvi) बर्फ श्रेणी अनुसंधान पोत के लिए 5 करोड़ रुपए का किया गया है और 20 करोड़ रुपए का प्रावधान मुख्यालय भवन के लिए किया गया है।

अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान में 11 करोड़ रुपए का प्रावधान राष्ट्रीय मीडियम रेंज मौसम पूर्वानुमान केन्द्र के लिए किया गया है, 13 करोड़ रुपए का प्रावधान भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के लिए किया गया है। आईएमडी के आधुनिकीकरण के चरण के कार्यान्वयन के लिए 364 करोड़ रुपए के आवंटन की व्यवस्था की गई है, अन्य चल रही गतिविधियां जैसे अंतरिक्ष मौसम विज्ञान 10 करोड़ रुपए, कृषि परामर्शी सेवाएं (10 करोड़ रुपए), प्रचालन और अनुरक्षण (28 करोड़ रुपए) और विमानन मौसम विज्ञान (5 करोड़ रुपए) वर्ष 2008-09 के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मल्टी-हैजड्रिस अर्ली वार्निंग सपोर्ट सिस्टम, जलवायु परिवर्तन केन्द्र, डेडिकेटेड वेदर चैनल और राष्ट्रमंडल खेल, पृथ्वी और वायुमंडलीय विज्ञान में अनुसंधान व विकास जैसी मौसम विज्ञान संबंधी नए कार्यकलापों के लिए क्रमशः 1 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए और 7 करोड़ रुपए, भूकंप विज्ञान नेटवर्क, भूकंप पुर्वानुमान अध्ययनों के सुदृढ़ीकरण के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी : विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की आयोजना स्कीमों हेतु परिव्यय 1530 करोड़ रूपए है जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार अग्र और उभरने वाले क्षेत्रों में बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकास के संवर्धन के लिए है। ये क्षेत्र भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और इंजीनियरी, मे पृथ्वी और वायुमंडलीय विज्ञान, इंस्ट्रूमेंटेशन विकास, औषधि और भेषज विज्ञान संबंधी अनुसंधान से संबद्ध हैं और इसमें नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय मिशन, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, उच्च शिक्षा में विज्ञान के लिए छात्रवृत्तियां (पर्यवेक्षण समिति की सिफारिश के अुनसार) भी शामिल हैं। उद्यमकारिता सहित सामाजिक-आर्थिक विकास के कार्यक्रमों पर विधिवत बल दिया जा रहा है। नए और अन्तरविषयक क्षेत्रों जैसे जल प्रौद्योगिकी अभिक्रम, प्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान अध्ययन में नवोन्वेषण, नवोन्वेषण समूहन, सुरक्षा प्रौद्योगिकी अभिक्रम तथा मूल अनुसंधान के लिए विशाल सुविधाओं में बड़ी संख्या में अनुसंधान और विकास कार्यकलापों को सहायता दी जाती है। लिंग विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की गई है तथा इनमें से महिलाओं के लिए उपयुक्त आवंटन निर्धारित किया गया है।

अन्य वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधानः विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के लिए 1200 करोड़ रुपए का परिव्यय है। यह प्रौद्योगिकी संवर्धन,विभाग के विकास एवं उपयोग कार्यक्रमों और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि. को इसकी सहायता के लिए है। यह परिव्यय सीएसआईआर को सहायता अनुदान देने के लिए भी है, जिसका उद्देश्य वैश्विक प्रतियोगितात्मक स्तर पर सक्षमता के सतत् निर्माण तथा पुनर्सज्जित करने हेतु कार्यकलापों को करना है। कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिनकी सहायता की जाएगी उनमें छोटे सिविलियन विमान का डिजाइन तैयार करना, विकास एवं विनिर्माण; नये यौगिकों और जैव-रूपातंरण प्रक्रिया के लिए भारत की जीवाणु संपदा का अन्वेषण एवं उपयोग, औषध लक्ष्यों का विकास करने के लिए चयनित पैथोजन का आण्विक जैव विज्ञान; दमा और एलर्जी रोग कम करना; भूमंडलीय बिक्री के लिए नयी वैज्ञानिक हर्बल दवाईयां तैयार करना,फोटोनिक और इलैक्ट्रानिक के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का विकास, माइक्रो-इलेक्ट्रोमेकेनिकल सिस्टम्स एवं संवेदियों के लिए क्षमताओं तथा सुविधाओं का विकास आदि हैं। प्रौद्योगिकी लाभ पर आधारित कुछ नये चुनिन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भूमंडलीय नेतृत्व प्राप्त करने के लिए "न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नालाजी लीडरशिप इनीसिएटिव (एनएमआईटीएलआई) की स्कीम को भी यह सहायता प्रदान करेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मानव संसाधन विकास और बौद्धिक संपदा तथा प्रौद्योगिकी प्रबंधन एवं अनुसंधान एवं विकास प्रबंधन समर्थन तथा अनुवाद अनुसंधान संस्थान के लिए भी यह सहायता प्रदान करेगा।

जैव प्रौद्योगिकीः जैव प्रौद्योगिकी विभाग हेतु 900 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है । योजनाएं स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, पशु विज्ञान, जलचरपालन, पर्यावरण और जैव विविधता के क्षेत्र में मूल अनुसंधान में सुधार लाने और उसे बेहतर बनाने के लिए तैयार की गई हैं। विद्यमान जैव विज्ञान सुविधाओं और उत्कृष्ट केन्दों को सहायता जारी रखने के अतिरिक्त, अनुसंधान के समकालीन और अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों में योजनाओं के अधीन अधिक सहायता की जाएगी। वृहद चुनौती कार्यक्रमों को वैक्सीन विकास ओर डिजायनर फसल विकास में कार्यान्वित किया जाएगा। विदेशों से वैज्ञानिकों के भारत लौटने के लिए अनुसंधान और विकास आधारित पुनः प्रवेश अनुदान योजना को कार्यान्वित किया जाएगा। अन्य कार्यक्रमों जैसे विश्वविद्यालयों में जीव विज्ञान विभागों की पुनः माडलिंग, विद्यमान फैलोशिप का विस्तार और नए नवान्वेषण आधारित फैलोशिप,स्टार अंडरग्रेजुएट महाविद्यालयों को सहायता और प्रौद्योगिकी प्रबंधन को सहायता दी जाएगी। लघु और मझौले उद्यमों द्वारा अनुसंधान और विकास को सहायता देने वाले लघु व्यवसाय नवोन्वेषण अनुसंधान अभिक्रम का विस्तार किया जाएगा। सरकारी निजी भागीदारियों को बढ़ावा देने के लिए जैवप्रौद्योगिकी उद्योग सहायता अनुसंधान परिषद की स्थापना की जाएगी। स्थानान्तरीय स्वास्थ्य विज्ञान अनुसंधान संबंधी नए संस्थान और हाल ही में अधिग्रहीत राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी संस्थान की गतिविधियां आरम्भ की जाएगी। स्टेम सेल जीवविज्ञान, यूनेस्को क्षेत्रीय केन्द्र, कृषि-खाद्य जैव प्रौद्योगिकी, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी और पशु जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में प्रक्रियाधीन अन्य संस्थाओं की गतिविधियां आरम्भ करने के प्रयास किए जाएंगे।

पर्यटनः पर्यटन मंत्रालय का परिव्यय 1000 करोड़ रुपए है (जिसमें 100 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर तथा सिक्किम के लिए शामिल है)। योजनाओं के लिए कुल परिव्यय गंतव्य स्थलों तथा सर्किटों के उत्पाद/अवसंरचना विकास, वृह्त राजस्व सृजन करने वाली परियोजनाओं के लिए सहायता, आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार, बाजार विकास सहायता सहित समुद्रपारीय संवर्धन और प्रचार, आईएचएम/एफसीआई को सहायता, सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण, आवास अवसंरचना को प्रोत्साहन, अंजता एलोरा में बौद्ध केंद्रों/स्थलों और उत्तर प्रदेश में बौद्ध सर्किटों के विकास हेतु विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाएं, भारत सरकार-यू.एन.डी.पी. संयुक्त परियोजनाएं, 20 वर्ष की परिदृश्य योजना सहित बाजार अनुसंधान, गुलमर्ग में आईआईएसएम के लिए भवन का निर्माण और कम्प्यूटरीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी तथा होटलों के लिए भूमि बैंक की स्थापना की स्कीमों के लिए है।

विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धनः वाणिज्य विभाग लिए 1560 करोड़ रुपए का परिव्यय है जिसमें निर्यात संबद्ध अवसंरचना के विकास हेतु (570 करोड़ रुपए), जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु, 57 करोड़ रुपए शामिल हैं। कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण हेतु (100 करोड़ रुपए); कृषि निर्यात के विकास और संवर्धन, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (100 करोड़ रुपए), समुद्री उत्पाद उद्योग के विकास और समुद्री उत्पादों के निर्यात ऋण गारंटी निगम में निवेश (100 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय निर्यात बीमा लेखा (150 करोड़ रुपए) ताकि परियोजनाओं और अन्य उच्च मूल्यों के निर्यात हेतु ऋण जोखिम कवच की उपलब्धता सुनिश्चित हो, निरंतर आधार पर भारत के निर्यात के संवर्धन हेतु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए बाजार पहुंच अभिनव कार्यक्रम (50 करोड़ रुपए) और फसल बीमा (चाय, रबर तथा मसाले) के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल हैं।

अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं: सरकार ने देश में महत्वपूर्ण ढांचागत सुविधाओं की उपलब्धता तथा गुणवत्ता में सुधार करने की अत्यंत आवश्यकता को पहचाना है ताकि आर्थिक गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा हो और इन्हें उच्च विकास के पथ पर ले जाया जा सके। यह निर्णय लिया गया है कि निवेश को बढ़ाकर विकास की गति में वृद्धि कर तथा भौतिक आधारभूत ढांचे में विस्तार के जरिए विभिन्न ढांचागत क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जाए, जैसे सड़क, पत्तन, विमानपतन, रेलवे, अभिसमय केन्द्रों, विद्युत, जलापूर्ति, मल व्ययन तथा शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट निपटान आदि जैसे विभिन्न ढांचागत क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा आधारभूत ढांचे के विकास को प्रोत्साहन देना, जिसमें सक्षमता अंतराल वित्तपोषण भी शामिल है। वर्ष 2008-09 में 92.10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

अन्य देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहयोगः विदेश मंत्रालय के लिए परिव्यय 579 करोड़ रुपए है। यह प्रावधान मुख्यतः पड़ोसी तथा अन्य विकासशील देशों को भारत के बहुपक्षीय तथा द्विवपक्षीय सहायता कार्यक्रम की दिशा में अन्य देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग स्थापित करने के लिए किया गया है। ये विशाल परियोजनाओं भूटान, नेपाल, म्यांमार तथा अफगानिस्तान में स्थित हैं।

सामाजिक सेवाएं

सामान्य शिक्षाः सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रमों के प्रति सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए 34,400 करोड़ रुपए (विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए 26,800 करोड़ रुपए और उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए 7600 करोड़ रुपए) का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रारम्भिक शिक्षा कोष में जमा किए जाने वाले शिक्षा उपकर से प्राप्तियों के रूप में 12,817 करोड़ रुपए की अनुमानित प्राप्तियां शामिल हैं। प्रारम्भिक शिक्षा कोष के अंतर्गत निधियां सर्वशिक्षा अभियान और मध्याहन भोजन योजना के लिए उपयोग में लाई जाएंगी। सर्वशिक्षा अभियान को केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच कार्यान्वित की जा रही है जिसे सभी को बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आरम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में पहुंच, समानता, स्कूल में बने रहने और गुणवत्ता, की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। यह कार्यक्रम सम्पूर्ण देश में राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों की भागीदारी से कार्यान्वित किया जा रहा है। शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े खण्डों में लिंग समानता को प्रोत्साहन देने के लए बालिकाओं से सम्बद्ध दो अतिरिक्त संघटक हैः प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर राष्ट्रीय कार्यक्रम और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। 13100 करोड़ रुपए का परिव्यय सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत रखा गया है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु 1160 करोड़ रुपए शामिल हैं

मध्यान्ह भोजन योजनाः प्राथमिक शिक्षा से सम्बद्ध राष्ट्रीय पौषाहार समर्थन कार्यक्रम, जिसे लोकप्रिय रूप से मध्याह भोजन योजना के रूप में जाना जाता

है, प्राथमिक और प्राथमिक उच्च स्तर के बच्चों के लिए विश्व के सबसे बड़े भोजन कार्यक्रम के रूप में उभरा है। इस योजना का उद्देश्य प्रवेश बढ़ाना, उपस्थिति अवधारण और बच्चों के सीखने के स्तरों के साथ अपने पौषाहार स्तर में सुधार करना है। प्राथमिक स्तर पर प्राप्त सफलता को देखते हुए इस योजना का 1 अक्तूबर, 2007 से 3,479 शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकास खंडों में उच्च प्राथमिक स्तर पर किया गया है। तदनुसार मध्याहन भोजन स्कीम के लिए परिव्यय बढ़ाकर 7324 करोड़ रुपए किया गया है। वर्ष 2008-09 से इस कार्यक्रम में देश के सभी क्षेत्रों में उच्च प्रारम्भिक स्तर के बच्चों (कक्षा I से VIII तक) को शामिल किया जाएगा। तदनुसार, मध्याह्न भोजन के लिए परिव्यय बढ़ाकर 8000 करोड़ रुपए कर दिया गया है जिसमें पूर्वोत्तर तथा सिक्किम के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है

माध्यमिक शिक्षाः माध्यमिक शिक्षा के लिए 4554 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 455.40 करोड़ रुपए भी शामिल है। इस आबंटन में अन्य के साथ-साथ नवोदय विद्यालय समिति के लिए 700 करोड़ रुपए (70 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए शामिल है) का आबंटन और केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लिए 300 करोड़ रुपए (30 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए शामिल है) का आबंटन शामिल है। सर्वशिक्षा अभियान की सफलता और माध्यमिक शिक्षा के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उच्चतर प्राथमिक स्तर को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की भारी संख्या को देखते हुए माध्यमिक स्तर पर सबकी पहुँच एवं गुणवत्ता (सक्सेस) नामक एक नई स्कीम चलाई जा रही है जिसके लिए 2185 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 218.50 करोड़ रुपए सहित)का प्रावधान किया गया है। वर्ष के दौरान 650 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 67.20 करोड़ रुपए सहित) के आयोजना परिव्यय के साथ 6000 आदर्श विद्यालय आरंभ करने की एक नई योजना का भी प्रस्ताव है। 80 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 8 करोड़ रुपए सहित) आयोजना परिव्यय 2000 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (आवासीय विद्यालय छात्रावास/ बालिका छात्रावास) के उन्नयन के लिए रखा गया है। 20 करोड़ रुपए का परिव्यय (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 12 करोड़ रुपए सहित) भारतीय स्टेट बैंक के पास संचयी निधि के सृजन के लिए IX से XII कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों के लए 1,00,000 छात्रवृत्तियों का संवितरण राष्ट्रीय साध्यो-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना के तहत करने हेतु रखा गया है।

उच्चतर शिक्षा - उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए 7600 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। इस धनराशि में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन विभिन्न उच्चतर और तकनीकी संस्थाओं के लिए प्रावधान शामिल है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 3095.50 करोड़ रुपए का आबंटन प्रदान किया गया है जिसमें केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए आबंटन शामिल है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए आबंटन में पर्यवेक्षण समिति की पिछड़े वर्ग के समुदायों को आरक्षण लागू करने के लिए सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए 875 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। "आईसीटी के माध्यम से शिक्षा हेतु राष्ट्रीय मिशन" शुरू करने का भी प्रस्ताव है जिसके लिए 502 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 50.20 करोड़ रुपए सहित) का प्रावधान रखा गया है। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो दूरस्थ शिक्षा में अग्रणी रहा है, के लिए 120 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 12 करोड़ रुपए सहित) का प्रावधान रखा गया है। इस अनुदान में राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों के लिए 70 करोड़ रुपए और स्वयं इग्नू की विभिन्न अनुमोदित स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए 50 करोड़ रुपए शामिल हैं।

तकनीकी शिक्षाः 3204.99 करोड़ रुपए का प्रावधान (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 316.49 करोड़ रुपए सहित) है और इसमें आई आई टी, एनआईटी, आईआईएम आदि के लिए पर्यवेक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के कार्यान्वयन हेतु सहायतार्थ प्रावधान शामिल है। भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो पूणे, कोलकाता और मोहाली मे तीन आईआईएसईआर तथा तिरुवनन्तपुरम (केरल) एवं भोपाल (मध्य प्रदेश) स्थित दो नए शुरू किए जाने वाले संस्थानों की देखभाल करेगा। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रक में चालू विभिन्न योजनाओं के लिए प्रावधानों के अतिरिक्त तीन आईआईटी की स्थापना करने के लिए 50 करोड़ का एक प्रावधान रखा गया है, 8 करोड़ रुपए नए आईआईएम की स्थापना करने के लिए 21.40 करोड़ रुपए नए आईआईआईटी की स्थापना करने के लिए, 15 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश में भोपाल और आन्ध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में दो नए योजना और वास्तुकला स्कूलों के लिए तथा 1 करोड़ रुपए का सांकेतिक प्रावधान नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए रखा गया है।

खेलकूद और युवा सेवाएंः युवा कार्य और खेल मंत्रालय के लिए योजना परिव्यय 890 करोड़ रुपए है। युवा कार्य के क्षेत्र में प्रावधान मुख्यतया राष्ट्रीय सेवा योजना, नेहरू युवा केन्द्र संगठन और किशोरों के विकास व अधिकारिता हेतु योजना के लिए है। खेलकूद की तरफ राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के आयोजन हेतु खेल अवसंरचना के सृजनार्थ और उन्नयन/तैयारी के लिए अधिक आवंटन रखे गए हैं। इसके अलावा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय खेल संघ को सहायता, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों आदि में खेल-कूद अवसंरचना के विकास हेतु प्रावधान रखा गया है।

कला और संस्कृतिः संस्कृति मंत्रालय के लिए 600 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, एसियाटिक सोसाइटी, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, सांस्कृतिक संसाधन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, नृत्य, नाटक तथा थिएटर समूह को सहायता, राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, विज्ञान नगरों, नेहरु स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, भारतीय संग्रहालय, सलारगंज संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, राष्ट्रीय पुस्तकालय, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय फाउंडेशन तथा अन्य स्कीमों और कार्यक्रमों आदि के लिए प्रावधान रखा गया है। संस्कृति मंत्रालय के संबंद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों की भवन परियोजनाओं के लिए 46.32 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

चिकित्सा और जन स्वास्थ्यः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का योजना परिव्यय 15580 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) स्कीम का अनुमोदन सीसीईए द्वारा मार्च, 2006 में किया गया। स्कीम में 6 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसी संस्थाओं की स्थापना और 13 मौजूदा सरकारी चिकित्सा कॉलेज संस्थाओं के उन्नयन की परिकल्पना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग 6 एम्स जैसी संस्थाओं के लिए सलाहकार/विकासक की भर्ती को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया कर रहा है। 13 मौजूदा चिकित्सा कॉलेज संस्थाओं का उन्नयन भी किया गया है। इन संस्थाओं का अंतर विश्लेषण किया गया है। उन्नयन की प्रक्रिया के 2009 में पूरी होने की संभावना है और एम्स जैसी 6 संस्थाओं के 2010-11 तक तैयार हो जाने की उम्मीद है। स्कीम के लिए 490.00 करोड़ रुपए का प्रावधान निर्धारित किया गया है।

देश में तम्बाकू एक अग्रणी रोकथाम योग्य मृत्यु का कारण है। नये राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य चरण प्रारंभ करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जहां तम्बाकू रोधी कानून 2003 के प्रभावी प्रवर्तन के लिए संस्थागत प्रक्रम हेतु एक प्रस्ताव रखने की परिकल्पना है। एक प्रावधान इस योजना के लिए निर्धारित किया गया है।

राष्ट्रीय बधिरता रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम का महत्वपूर्ण चरण आगामी 2 वर्षों में 25 जिलों में शुरू किया जा रहा है। एनवीपीसीडी का लक्ष्य परिहार्य श्रवण श्रय को रोकना और आरंभ में ही इसकी पहचान, नैदानिक और श्रवण श्रय और बधिरता के लिए जिम्मेदार कान संबंधी समस्याओं का उपचार है। कार्यक्रम का संकेन्द्रण कान संबंधी देखभाल सेवाओं के लिए जनशक्ति का प्रशिक्षण, उपकरण की सहायता और अन्य संसाधनों द्वारा संस्थागत क्षमता का विकास करना है। बधिरता से ग्रस्त व्यक्ति के पुनर्वास के लिए मौजूदा अन्तर क्षेत्रक संबंधों को सुदृढ़ करने के प्रयास भी किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के लिए 10.00 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तदनुसार स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संस्थाओं से समिति ने सूचना मांगी थी। 2008-09 के लिए 100.00 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। सीएसएस के अधीन नई पहलों के भाग के रूप में 75.00 करोड़ रुपए का प्रावधान मातृत्व और बाल स्वास्थ्य स्कंधों/अस्पतालों और जिला अस्पतालों में अन्य स्कंधों के सुदृढ़ीकरण और राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन आरंभ करने के लिए किया गया है।

नर्सिंग सेवा और फार्मेसी स्कूलों/कालेजों/कालेजों का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण तथा भेषज संस्थाओं का सृजन/सुदृढ़ीकरण की भी परिकल्पना की गई है। शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य बीमा योजना आरंभ की गई है, जिसके लिए 42 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

अप्रैल 2005 में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आरंभ करने के साथ आठ

अधिकार प्राप्त दल (ईएजी) राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश सहित 18 राज्यों पर विशेष संकेन्द्रण किया गया है। एनआरएचएम में ग्रामीण जनसंख्या को विशेषकर कमजोर वर्गों को सुलभ, किफायती और गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल मुहैया कराने के लिए स्वास्थ्य प्रदाय प्रणाली में वास्तुकलागत सुधार की परिकल्पना की गई है। इसमें देश में मातृत्व मृत्यु अनुपात को प्रति 1,00,000 जीवित जन्म पर 407 से 100 करने नवजात शिशु मृत्यु दर को प्रति जीवित जन्म पर 60 से 30 और कुल उर्वरता दर 3.0 से 2.1 करने का लक्ष्य हैं। मिशन का लक्ष्य हासिल करने के लिए मुख्य विशेषताओं में स्वास्थ्य परिदाय प्रणाली को पूरी तरह कार्यरत और समुदाय के प्रति उत्तरदायी बनाना, मानव संसाधन प्रबंधन, समुदाय की भागीदारी, विकेन्द्रीकरण, कठोर मानीटरिंग और मानक के लिए मूल्यांकन, ग्रामीण स्तर से स्वास्थ्य और संबंधित कार्यक्रमों का समावेशन,नवपरिवर्तन और लोचशील वित्तपोषण तथा स्वास्थ्य संकेतकों के सुधार के लिए हस्तक्षेप शामिल हैं। सभी राज्यों ने मिशन कार्यशील बनाया है और स्वास्थ्य प्रदाय सेवाओं का अतिरिक्त प्रबंधन सभी स्तरों पर लेखा कार्य और आयोजना सहायता द्वारा पुनरूद्धार किया जा रहा है। एनआरएचएम के तहत नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं में सुधार के मुख्य क्षेत्रों में अनेकानेक राज्यों ने नवपरिवर्तन चलाया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और यह आशा की जाती है कि एनआरएचएम से 13 परिणामों के अतिरिक्त मानीटरिंग योग्य सामाजिक-आर्थिक लक्ष्य, स्वास्थ्य के लिए 11वीं योजना से मिशन द्वारा हासिल किया जाएगा।

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष): आयुष विभाग का उद्देश्य संगठित व वैज्ञानिक तरीके से भारतीय दवा प्रणालियों का विकास व संवर्धन करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति की ओर विभाग अनेक केन्द्रीय प्रायोजित योजना और केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल डिलीवरी में आयुष प्रणालियों को शामिल करके समेकन से उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) का भाग बनाने पर भी बल दिया जा रहा है। आयुष के लिए कुल परिव्यय 534 करोड़ रुपए है।

महिला और बाल विकासः महिला और बाल विकास मंत्रालय के आयोजना परिव्यय ने विगत कुछ वर्षों के दौरान आवंटन में सतत वृद्धि प्रतिबिंबित की है। मंत्रालय की आयोजना परिव्यय 7200 करोड़ रुपए है (इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र व सिक्किम के लिए 720 करोड़ रुपए शामिल हैं)। मंत्रालय की फ्लैगशिप योजना समेकित बाल विकास सेवा योजना है। आई.सी.डी.एस. हेतु आवंटन 5665.20 करोड़ रुपए है। इस स्कीम में छः वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं व उपचाराधीन माताओं के स्वास्थ्य, पोषाहार व शैक्षिक सेवाओं के एकीकृत पैकेज की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। इस पैकेज में पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य चेक अप, रेफरल सेवाएं, पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनौपचारिक पूर्व विद्यालय शिक्षा शामिल है। दिनांक 31.01.2008 को कुल 6284 परियोजनाएं और 10.52 लाख आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण योजना शिशु सदनों तथा डे केयर केन्द्रों के लिए योजना है। योजना का 2005-06 में विस्तार कर इसका पुनर्नामकरण कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुसदन योजना के रूप में किया गया है। इस योजना के अंतर्गत आज की तारीख में 32,000 से अधिक शिशु सदन कार्य कर रहे हैं। महिला अधिकारिता संबंधी महत्वपूर्ण योजनाओं में स्व-सहायता समूह आधारित अधिकारिता योजना-स्वयंसिद्धा, लघु ऋण योजना-राष्ट्रीय महिला कोष, आर्थिक अधिकारिता योजना-प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम को सहायता, पुनर्वास तथा सहायता योजनाएं-स्वाधार तथा अल्प निवास गृह योजना, महिला शिक्षा के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम जैसी अनवरत शिक्षा योजनाएं आदि शामिल हैं। शुरू की जाने वाली प्रस्तावित एक महत्वपूर्ण योजना एकीकृत बाल सुरक्षा स्कीम है जिसमें बाल संरक्षण के मुद्दे के निदान और सिविल-सोसाइटी की भागीदारी से बच्चों के लिए संरक्षणात्मक वातावरण बनाने में सहायता करना है जिसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी इस स्कीम के कार्यान्वयन हेतु व्यवस्था की गई है। 9 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ अवैध व्यापार से बचने के लिए 'उज्जवला' नाम की नई योजना शुरु की गई है। एक प्रायोगिक योजना "बीमा कवर के साथ बालिका के लिए सशर्त नकदी अंतरण" शुरु की गई है जिसके लिए 9 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

जलापूर्ति एवं सफाईः राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में देश में सभी ग्रामीण आबादियों के लिए पेयजल के प्रावधान को नियत किया गया है। इसलिए सरकार गत वर्षों में ग्रामीण जलापूर्ति क्षेत्रक के लिए वार्षिक केंद्रीय परिव्यय उत्तरोत्तर बढ़ाती जा रही है। ग्रामीण पेयजल भारत निर्माण योजना का एक संघटक है, जिसकी परिकल्पना ग्रामीण पेय जल संघटक के अंतर्गत 2005-06 से 2008-2009 के चार वर्ष की अवधि में ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण की योजना के रूप में की गयी है। इसमें व्यापक कार्य योजना, 1999 में शामिल नहीं किए गए पर्यावासों को शामिल करने तथा स्लिपेज एवं जल गुणवत्ता की समस्या का समाधान करने की भी परिकल्पना है। नियमितता एवं गुणवत्ता के दो मुद्दों का समाधान नियमितता को बढ़ावा देकर तथा जल की गुणवत्ता का अनुवीक्षण करके किया जा रहा है। वर्षा जल हार्वेस्टिंग के विभिन्न प्रकारों के ब्यौरे राज्यों को वितरित किए गए हैं ताकि इसके बारे में ज्यादा जागरूकता पैदा की जा सके। ग्रामीण जलापूर्ति क्षेत्र हेतु 7300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है (730 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र व सिक्किम सहित)। सरकार ग्रामीण जनता के लिए स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकारों के प्रयासों को निरंतर सहायता देने को सर्वाधिक महत्व देती आ रही है। 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 578 जिलों में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजनाएं शुरु की गई हैं। यह प्रस्ताव है कि 11वीं योजना के अंत तक सभी जिलों को संपूर्ण स्वच्छता अभियान में कवर किया जाए और 2010 तक स्वच्छता तक पहुंच से वंचित रहे लोगों की संख्या आधी घटाकर सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य प्राप्त किया जाए। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम हेतु 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। (120 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए शामिल हैं)। जलापूर्ति और स्वच्छता हेतु 8500 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय है (पूर्वोत्तर क्षेत्र व सिक्किम हेतु 850 करोड़ रुपए शामिल हैं)।

आवास

ग्रामीण आवास : ग्रामीण आवास के लिये परिव्यय 5400 करोड़ रु. है (541 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए शामिल हैं)। इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य प्राथमिक तौर पर आवासीय यूनिटों के निर्माण में सहायता करना और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति के ग्रामीण गरीबों के विद्यमान अनुपयोगी कच्चे मकानों के लिए सहायता अनुदान देकर उन्हें सुधारना है। वर्ष 1995-96 से इंदिरा आवास योजना का लाभ युद्ध के दौरान मारे गए रक्षा कार्मिकों और अर्द्धसैनिक बलों के परिवार के सदस्यों को भी प्रदान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत, न्यूनतम 60 प्रतिशत निधियां गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अ.जा./अ.ज.जा. परिवारों की सहायता के लिए अलग से रखी गई हैं। इन निधियों का 3 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले विकलांगों के हितों के लिए आरक्षित किया गया है। इंदिरा आवास योजना की निधियों और भौतिक लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अल्पसंख्यकों के लिए भी अलग से रखे गए हैं।ये आवास इकाइयां निरपवाद रूप में लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम में आवंटित की जाएंगी। वैकल्पिक रूप से इसे पति तथा पत्नी दोनों के नाम से आवंटित किया जा सकता है। सिर्फ उसी मामले में यदि परिवार में कोई महिला सदस्य नहीं है तो मकान पुरुष सदस्य को आवंटित किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध करायी गई वित्तीय सहायता प्रत्येक घर के लिए मैदानी क्षेत्रों में 25,000 रुपये और पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में 27,500 रुपये है। इंदिरा आवास योजना के वार्षिक आवंटन के 20 प्रतिशत तक को कच्चे घरों को सुधारने और क्रेडिट-सह-सब्सिडी स्कीम हेतु खर्च किया जा सकता है। ऋण-एवं-आर्थिक सहायता योजना के अधीन 32,000/- रुपए तक की वार्षिक आय वाले ग्रामीण परिवारों को मकान सुधारने के लिए 12,500 रुपए और ऋण-सह-सब्सिडी स्कीम के अतर्गत 12,500 रुपए तक की सब्सिडी उपलब्ध करायी जाती है। मकान के निर्माण के लिए बैंकों से 50,000 रुपए तक का ऋण ले सकते हैं। निधियन पैटर्न केन्द्र तथा राज्य के बीच 75;25 के अनुपात में बंटा हुआ है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में केंद्र द्वारा 100% निधियां उपलब्ध करायी जाती है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कुल आवंटित निधियों का 5% प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपातकालिक स्थितियों जैसे दंगा, आगजनी और आग, आपवादिक परिस्थितियों में पुनर्वास आदि से उत्पन्न आकस्मिकताएं पूरी करने के लिए अलग से रखा गया है। कोई जिला इस शीर्ष के अंतर्गत प्रतिवर्ष अपने वार्षिक आवंटन का 10% अथवा 50 लाख रुपये (राज्य के हिस्से सहित), जो भी अधिक हो, प्राप्त कर सकता है।

आपातिक स्थितियों यथा दंगा, आगजनी तथा आग से पीड़ित व्यक्तियों को तात्कालिक समय पर सहायता देने के लिए जिलाधिकारी जिला आवंटन (राज्य हिस्सा सहित) से अथवा स्वयं के संसाधनों से निधियों का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत हैं तथा वे पीड़ितों को क्षतिग्रस्त मकानों के निर्माण

एवं बाद में प्रतिपूर्ति के दावों के मामले में सहायता करते हैं तथा बाद में प्रतिपूर्ति के लिए दावा करते हैं।

शहरी विकास क्षेत्र: इस क्षेत्र के लिए कुल परिव्यय 5478.36 करोड़ रुपए है जिसमें 2978.36 करोड़ रुपए आं.ब.वा.स.सं. शामिल हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के लिए यह प्रावधान किया गया है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संतुलित और समान विकास का उद्देश्य प्राप्त करने और राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली पर जनसंख्या का दबाव कम करने और अन्य शहरी विकास स्कीमों अर्थात् उपग्रह शहरों/काउंटर मैगनेट शहरों का विकास, राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली, पूल्ड वित्त विकास निधि, शहरी परिवहन योजना, शहरी क्षेत्र में अनुसंधान और क्षमता निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी मिशन मोड, राष्ट्रमंडल खेल, डीएमआरसी के लिए अनुदान और शहरी परिवहन क्षेत्र में क्षमता निर्माण राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान, दिल्ली, शहरी कला आयोग के लिए किया गया है। इसमें जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत शहर की विकास योजनाएं बनाने और तकनीकी सेमिनार, संगोष्ठियां और परामर्श सेवाओं के लिए प्रावधान शामिल किया गया है। इस प्रावधान में दिल्ली मेट्रो रेल निगम, बंगलौर मेट्रो रेल परियोजना, कोलकात्ता मेट्रो रेल परियोजना का पूर्व-पश्चिम गलियारा और दिल्ली, बंगलौर और कोलकात्ता आदि में जन द्रुत परिवहन प्रणाली भी शामिल है।

सूचना, प्रचार और प्रसारणः सूचना और प्रसारण क्षेत्र के लिए 700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है जिसमें 484 करोड़ रुपए प्रसारण क्षेत्र, सूचना क्षेत्र के लिए 50 करोड़ रुपये, राष्ट्रमंडल खेल व संबद्ध कार्यक्रमों के लिए 99 करोड़ रुपये और फिल्म क्षेत्र के लिए 67 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है। विशेष आयोजनों के प्रचार के लिए प्रावधान रखा गया है। आईआईएमसी को अंतरराष्ट्रीय मीडिया विश्वविद्यालय में बदलना, आईसीटी स्कीम के ग्रामीण भारत पुनर्संरचित फोर्ड के लिए सीधी कला और संस्कृति, विकास पहलों का आर्थिक विश्लेषण चल छायाचित्रों का संग्रहालय, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि., ग्लोबल फिल्म स्कूल, एनीमेशन, गेमिंग और स्पेश्ल इफैक्ट्स में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय केंद्र और अंतरराष्ट्रीय चैनल प्रसार भारती के संबंध में जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर पैकेज की ओर विशेष ध्यान दिया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र; पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय पूर्वोत्तर परिषद की अपनी स्कीमों और संसाधनों के अव्यपगत केन्द्रीय पूल के माध्यम से सड़क और पुल, विद्युत, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकूद, जलापूर्ति आदि क्षेत्रों में अवसंरचना के विकास हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र में परियोजनाएं शुरु करता है। राज्य आयोजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय हेतु 1374 करोड़ रुपए का प्रवधान है जिसमें अव्यपगत केन्द्रीय पूल के संसाधनों से अनुदान के रूप में 650 करोड़ रुपए, पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमों हेतु 624 करोड़ रुपए और बोडो लैंड क्षेत्रीय परिषद हेतु 100 करोड़ रुपए की स्कीमें शामिल है। केन्द्रीय आयोजना स्कीमों के लिए प्रावधान 81 करोड़ रुपए है जिसमें 60 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम, 12.50 करोड़ रुपए तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण हेतु, 6.50 करोड़ रुपए सहायता और प्रचार हेतु, 1 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर में सड़कों के लिए और 1 करोड़ रुपये पूर्वोत्तर क्षेत्र आजीविका परियोजना के लिए है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के ग्रामीण लोगों के रोजगार, आमदनी और प्राकृतिक संसाधन संपोषणीयता की आवश्यकताओं के हल के लिए एक नई स्कीम शुरु की गई है और यह स्कीम ग्यारहवीं योजना के चरणों में क्रियान्वित की जाएगी और इसे विश्व बैंक के माध्यम से निधि पोषित किया जाना प्रस्तावित है।

कल्याण

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याणः सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की स्कीमों/कार्यक्रमों के लिये 2400 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों के लिए 94.75 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। अनुसूचित जातियों के विकास, अन्य पिछड़े वर्गों के विकास, अपंगों के विकास, सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र के लिए, अनुसूचित जाति उप-आयोजना हेतु विशेष केंद्रीय सहायता के लिए आवंटन 480 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 10.90 करोड़ रुपये शामिल) हैं। इस योजना से लगभग 5.75 लाख लोगों को संभवतः लाभ होगा। अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए प्रावधान हैं। संभवतः इससे लगभग 36.30 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना में संभवतः लगभग 10 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना में संभवतः लगभग 9 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।

जनजातीय मामले : केंद्रीय क्षेत्र आयोजना के अंतर्गत 805 करोड़ रूपए के आवंटन में मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, बुक बैंक, और योग्यता के संवर्धन, प्रशिक्षण और संबद्ध स्कीमों सहित अ.ज.जा. के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान तथा शानदार सेवाओं के लिए इनाम, कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में शिक्षा काम्प्लेक्स, पीटीजी के विकास के लिए, लघु वन उत्पाद हेतु राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम को सहायता अनुदान, ट्राईफेड को सहायता, अनुसूचित जनजाति की लड़कियों व लड़कों के लिए छात्रावासों का निर्माण, जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए, जनजातीय उप-आयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप हेतु और उत्कृष्ट संस्थान/उत्कृष्ट शिक्षा राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना, राष्ट्रीय राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को सहायता और अनुसंधान सूचना व जन शिक्षा, जनजातीय उत्सव और अन्य शामिल हैं।

अल्पसंख्यकः अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय का आयोजना परिव्यय 1000 करोड़ रुपए है। इस परिव्यय में नौ योजनाएं शामिल हैं यथा, चुनिंदा अल्पसंख्यकों की घनी आबादी वाले जिलों के लिए बहु-क्षेत्रक विकास कार्यक्रम (540 करोड़ रुपए), अल्पसंख्यकों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (80 करोड़ रुपए), अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां (100 करोड़ रुपए), और स्नातक और स्नातकोत्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों हेतु योग्यता-सह-युक्ति छात्रवृत्ति (125 करोड़ रुपए), अल्पसंख्यकों के लिए प्रशिक्षण और संबद्ध योजना (10 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय अल्पसंक्यक विकास और वित्त निगम में कार्यान्वयन के लिए लगी राज्य सरणीकरण एजेंसियों को सहायता-अनुदान (5 करोड़ रुपए), मौलाना आजाद फाउंडेशन को सहायता-अनुदान (60 करोड़ रुपए), एनएमडीएफसी को इक्विटी (75 करोड़ रुपए)। इसके अतिरिक्त, अल्पसंख्यकों के लिए अनुसंधान/अध्ययन, अनुवीक्षण और विकास योजनाओं के मूल्यांकन हेतु आवंटित किए गए हैं और कुल आयोजना परिव्यय में से 94 करोड़ रुपए सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अलग से रखे गए हैं।

श्रम और रोजगार : श्रम मंत्रालय के लिये आयोजना परिव्यय 800करोड़ रुपए है। इसमें रोजगार व श्रमिक प्रशिक्षण असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा तथा कार्य करने की स्थितियां सुधारने व बाल/महिला श्रमिक की सुरक्षा पर बल दिया गया है। केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड, वी.वी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास, अजा/अ.ज.जा. तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण और पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम की कल्याण स्कीमों के लिए प्रावधान भी किया गया है।

सामान्य सेवाएं

न्याय प्रशासनः 115 करोड़ रुपए का प्रावधान देश के जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में कम्प्यूटरीकरण के लिए रखा गया है। न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधा के विकास के लिए 111 करोड़ रुपए का प्रावधान है। न्यायिक सुधार और मूल्यांकन प्रास्थिति के अध्ययन और न्याय भारत परियोजना के प्रशासन हेतु प्रत्येक के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान है।